

परिशिष्ट 6a: E&S नीति और प्रक्रियाएँ

कार्यक्रम का शीर्षक: ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज इनिशिएटिव (टीपीआई)

PSAA आवेदक: फाइनेंस इन मोशन एसेट मैनेजमेंट



ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज़ इनिशिएटिव (टीपीआई) के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

सूची

परिशिष्ट 6a: E&S नीति और प्रक्रियाएँ	
सूची	2
तालिकाओं की सूची	3
संक्षिप्ताक्षर	4
परिभाषाएँ	5
टीपीआई पर्यावरणीय और सामाजिक नीति	7
1.1 सिद्धांत	8
1.2 नीतिगत प्रतिबद्धताएँ	10
1.3 संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ	17
टीपीआई की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रक्रियाएँ	18
2.1 संरचना और दायरा	18
2.2 निवेश चक्र में E&S प्रक्रियाओं का अवलोकन	30
2.3 वर्गीकरण	32
2.4 प्रत्यक्ष निवेश	33
2.5 वित्तीय संस्थान	38
2.6 पोर्टफोलियो निगरानी और रिपोर्टिंग	43
2.7 शिकायत निवारण तंत्र	43
2.8 हितधारक सहभागिता और सूचना का प्रकटीकरण	46
परिशिष्ट	46
3.1 परिशिष्ट 1: बहिष्करण सूची	46
3.2 परिशिष्ट 2: SEAH के लिए दृष्टिकोण	50
3.3 परिशिष्ट 3: मूलनिवासी समुदाय योजना रूपरेखा	51
3.4 परिशिष्ट 4: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट	56

3.5	परिशिष्ट 5: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम प्रश्नावली की संकेतात्मक रूपरेखा	59
3.6	परिशिष्ट 6: ब्राउनफील्ड निवेशों के लिए E&S अनुपालन ऑडिट की संकेतात्मक रूपरेखा	61
3.7	परिशिष्ट 7: वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट	62
3.8	परिशिष्ट 8: संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम प्रश्नावली	64
3.9	परिशिष्ट 9: संकेतात्मक संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन रूपरेखा	67
3.10	परिशिष्ट 10: प्रत्यक्ष निवेश के लिए ESAP टेम्पलेट	68
3.11	परिशिष्ट 11: वित्तीय मध्यस्थ के लिए ESAP टेम्पलेट	69
3.12	परिशिष्ट 12: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा	70
3.13	परिशिष्ट 13: वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा	71
3.14	परिशिष्ट 14: संकेतात्मक ESIA रूपरेखा	72
3.15	परिशिष्ट 15: संकेतात्मक ESMP रूपरेखा	73
3.16	परिशिष्ट 16: हितधारक जुड़ाव योजना रूपरेखा – प्रत्यक्ष निवेशों के लिए मार्गदर्शन	74
3.17	परिशिष्ट 17: संकेतात्मक श्रम प्रबंधन प्रक्रिया रूपरेखा	76
3.18	परिशिष्ट 18: संकेतात्मक पुनर्वास नीति रूपरेखा और पुनर्वास कार्य योजना की रूपरेखा	77
3.19	परिशिष्ट 19: संकेतात्मक जैव विविधता प्रबंधन योजना की रूपरेखा	78
3.20	परिशिष्ट 20: संकेतात्मक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (EPRP) रूपरेखा	79
3.21	परिशिष्ट 21: सांकेतिक संयोगवश खोज प्रक्रिया की रूपरेखा	80
3.22	परिशिष्ट 22: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा	81
3.23	परिशिष्ट 23: वित्तीय मध्यस्थों के लिए वार्षिक पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा	83

तालिकाओं की सूची

तालिका1	। बहिष्कृत निवेश	11
तालिका2	। प्रत्यक्ष निवेशों के लिए जोखिम-आधारित आवश्यकताएँ	13
तालिका3	। सभी FI निवेशों के लिए E&S आवश्यकताएँ	16

संक्षिप्ताक्षर

AIFM	अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर - वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक
CLO	कम्युनिटी लाइज़न ऑफिसर - सामुदायिक संपर्क अधिकारी
DNSH	डू नो सिग्निफिकेंट हार्म - महत्वपूर्ण हानि न करें
E&S	एनवायरनमेंटल एंड सोशल - पर्यावरणीय और सामाजिक
EPRP	इमर्जेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान - आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना
ESAP	एनवायरनमेंटल एंड सोशल एक्शन प्लान - पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना
ESDD	एनवायरनमेंटल एंड सोशल ड्यू डिलिजेंस - पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम
ESIA	एनवायरनमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन
ESMP	एनवायरनमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना
ESMS	एनवायरनमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट सिस्टम - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली
EU	यूरोपियन यूनियन - यूरोपीय संघ
FI	फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ - वित्तीय मध्यस्थ
GHG	ग्रीनहाउस गैस
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (सीमित देयता वाली कंपनी)
IFC	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
ILO	इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
MSS	मिनिमम सोशल सेफगार्ड्स - न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपाय
OHS	ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
PAI	प्रिंसिपल एडवर्स इम्पैक्ट - मुख्य प्रतिकूल प्रभाव
PS	परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड - प्रदर्शन मानक
SARL	Société à Responsabilité Limitée
SEAH	सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, एब्यूज़ एंड हैरेसमेंट - यौन शोषण, दुरुपयोग और उत्पीड़न
SPV	स्पेशल पर्पज़ व्हीकल - विशेष प्रयोजन वाहन
tCO2	कार्बन डाइऑक्साइड का मीट्रिक टन

ToR	टर्म्स ऑफ रेफरेंस - कार्य-परिधि
TPI	ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज़ इनिशिएटिव
UN	यूनाइटेड नेशंस
UNDRIP	यूनाइटेड नेशंस डिक्लरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स - यूनाइटेड नेशंस की घोषणा मूलनिवासी समुदाय के अधिकारों पर

परिभाषाएँ

वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक (AIFM)	TPI के लिए AIFM Finance in Motion Asset Management SARL है।
संबद्ध सुविधाएँ	ऐसी सुविधाएँ जो परियोजना के भाग के रूप में वित्तपोषित नहीं हैं और जिन्हें परियोजना के अस्तित्व में न होने पर निर्मित या विस्तारित नहीं किया गया होता, तथा जिनके बिना परियोजना व्यवहार्य नहीं होती।
शिकायत निवारण अधिकारी	वह व्यक्ति जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि ग्राहकों या हितधारकों की शिकायतों का निष्पक्ष, त्वरित और कानूनी व नियामक मानकों तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप निपटारा किया जाए।
प्रत्यक्ष निवेश	वे कंपनियाँ, परियोजनाएँ या विशेष प्रयोजन वाहन जो पात्र गतिविधियों के लिए सीधे फंड से वित्तपोषण प्राप्त करते हैं।
वित्तीय मध्यस्थ (FI)	वित्तीय संस्थान, जिनमें बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान शामिल हैं, जो ग्राहकों ऋण प्रदान करेंगे।
वित्तीय मध्यस्थ निवेश	वे गतिविधियाँ जिन्हें ये फंड, वित्तीय मध्यस्थों, जिनमें बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित करता है, जो फंड की पूँजी को पात्र उप-ऋणकर्ताओं को उधार देते हैं।
मध्यस्थत ऋण	वित्तीय संस्थानों, जिनमें स्थानीय बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान शामिल हैं, को दिया गया ऋण, जो वरिष्ठ या अधीनस्थ ऋण, बॉन्ड, या अन्य ऋण साधनों के रूप में हो सकता है।
निवेश समिति	AIFM के भीतर एक निर्णय-निर्माण निकाय, जो निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
निवेश	वे गतिविधियाँ जिन्हें ये फंड निगमों, परियोजनाओं या वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से वित्तपोषित करता है।
निवेशग्राही	वे संस्थाएँ जो फंड से वित्तपोषण प्राप्त करती हैं और फंड के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियों को लागू करने के लिए संविदात्मक रूप से संलग्न होती हैं। इसमें प्रत्यक्ष निवेशग्राही, जैसे ऋण वित्तपोषण प्राप्त करने वाली कंपनियाँ या परियोजना प्रायोजक, और वित्तीय मध्यस्थ, जैसे बैंक, लीजिंग कंपनियाँ या सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संस्थान, शामिल हो सकते हैं, जो फंड की पूँजी को पात्र अंतिम-ऋणग्राहियों को आगे उधार देते हैं।

परियोजना	परियोजना (“परियोजना”) से तात्पर्य पात्र व्यावसायिक गतिविधियों के एक विशिष्ट समूह से है, जिसके लिए निवेशग्राही TPI द्वारा वित्तपोषण का अनुरोध किया जाता है। यदि वित्तपोषण पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, तो परियोजना से तात्पर्य वित्तपोषण दस्तावेजों में परिभाषित व्यावसायिक गतिविधियों से है।
उप-ऋणकर्ता	वह अंतिम प्राप्तकर्ता जिसे किसी वित्तीय मध्यस्थ के माध्यम से इस फंड से पूँजी प्राप्त की है। उप-ऋणकर्ता सामान्यतः SMEs, निगमों या व्यक्ति होते हैं, जिन्हें फंड से उधार दी गई पूँजी से पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित ऋण या क्रेडिट उत्पाद प्राप्त होते हैं।
निवेश सलाहकार (“सलाहकार”)	Finance in Motion GmbH
फंड	ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज़ इनिशिएटिव (TPI)

टीपीआई पर्यावरणीय और सामाजिक नीति

ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज़ इनिशिएटिव (टीपीआई, “फंड”) का रणनीतिक केंद्र चयनित क्षेत्रों में कम-कार्बन, जलवायु-लचीले उद्योग और कृषि-खाद्य प्रणालियों में योगदान देने वाले निवेशों का समर्थन करना है, जिसमें शमन और अनुकूलन, दोनों प्रभावों को महत्व दिया जाता है। इस प्रभाव उद्देश्य के अनुरूप, फंड अपनी वित्तपोषित गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) जोखिमों और प्रभावों के प्रभावी और न्यायसंगत प्रबंधन को प्राथमिकता देता है।

टीपीआई को तैयार किया गया है उन निवेशों को वित्तपोषित करने के लिए जो विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन, संसाधन दक्षता और जलवायु लचीलेपन का समर्थन करते हैं। यह चार मुख्य निवेश विषयों पर केंद्रित है:

- औद्योगिक नवीकरणीय ऊर्जा
- दक्षता और चक्रीयता
- विद्युतीकरण और सतत ईंधन
- जलवायु-अनुकूल संसाधन

उप-परियोजनाएँ पैमाने और रूप-प्रकार में भिन्न होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने के औद्योगिक उन्नयन (जैसे, ऊर्जा-कुशल उत्पादन लाइनें, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान) के लिए प्रत्यक्ष ऋण, तथा एसएमई के लिए मध्यस्थ वित्तपोषण (जैसे, सौर प्रणालियाँ, कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियाँ) शामिल हैं।

ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज़ इनिशिएटिव (टीपीआई) मुख्य रूप से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित ब्राउनफील्ड निवेशों को वित्तपोषित करता है, और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन तथा संसाधन-दक्षता सुधारों पर केंद्रित है। यद्यपि फंड में सीमित संख्या में ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं, वे सामान्यतः उन क्षेत्रों में स्थित होंगी जो पहले से औद्योगिक उपयोग के लिए नामित हैं। कुल मिलाकर, टीपीआई नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, विद्युतीकरण और जलवायु-स्मार्ट इनपुट्स जैसे क्षेत्रों में निम्न और मध्यम जोखिम वाली औद्योगिक गतिविधियों के मिश्रण का समर्थन करता है। पर्यावरणीय जोखिमों के स्थल-विशिष्ट और सुदृढ़ स्क्रीनिंग, तकनीकी सहायता तथा शमन उपायों के माध्यम से प्रबंधनीय होने की अपेक्षा है। सामाजिक जोखिम सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि परियोजनाएँ मुख्यतः औद्योगिक हैं और उनसे भूमि अधिग्रहण या भौतिक विस्थापन शामिल होने की अपेक्षा नहीं है। फिर भी, ESMS किसी भी अवशिष्ट जोखिम का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करता है।

E&S विचार फंड के उद्देश्यों के केंद्र में हैं और वित्तीय मध्यस्थों (FI), उप-ऋणकर्ताओं और कंपनियों सहित निवेशग्राहियों के साथ उसकी सहभागिता का मार्गदर्शन करते हैं। यह नीति फंड की प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और उन सिद्धांतों तथा मानकों को स्थापित करती है जिनके प्रति वह स्वयं को जवाबदेह ठहराएगा, ताकि टीपीआई-वित्तपोषित गतिविधियाँ बेहतर E&S परिणाम प्राप्त कर सकें।

E&S नीति फंड पर, साथ ही उसके निवेशग्राहियों पर, और जहाँ लागू हो, उप-ऋणों पर भी लागू होती है। इसकी संरचना इस प्रकार है:

सिद्धांत	प्रतिबद्धताएँ	संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ
यह अनुभाग उन मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो फंड की निवेश गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण, विषयगत प्राथमिकताएँ, और पार-विषयी लक्ष्य शामिल हैं।	यह अनुभाग फंड की मुख्य E&S नीति प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिनमें उसकी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) का कार्यान्वयन, निवेश बहिष्करण, सभी निवेशग्राहियों के लिए न्यूनतम और जोखिम-आधारित आवश्यकताएँ, तथा शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।	यह अनुभाग फंड की E&S नीति को लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का वर्णन करता है, जिनमें संसाधन आवंटन, आंतरिक भूमिकाएँ और रिपोर्टिंग प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

1.1 सिद्धांत

i. एहतियाती दृष्टिकोण

फंड E&S प्रबंधन के लिए एहतियाती दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके तहत संभावित जोखिमों और प्रभावों की सक्रिय पहचान और उनका समाधान किया जाता है, ताकि लोगों और पर्यावरण को होने वाली हानि को न्यूनतम किया जा सके। यह जोखिमों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने, उनका शमन करने, या उनका उपचार करने के माध्यम से किया जाता है, साथ ही E&S प्रदर्शन से संबंधित अवसरों की पहचान भी की जाती है।

ii. शमन पदानुक्रम

फंड शमन पदानुक्रम के सिद्धांत को लागू करता है, जिसके तहत वह प्रतिकूल प्रभावों से बचने का प्रयास करता है, और जहाँ यह संभव न हो, वहाँ पर्यावरण तथा प्रभावित हितधारकों पर नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करता है और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है, ताकि मानव जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, तथा जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों में किसी भी गिरावट से बचा जा सके।

iii. हितधारक संलग्नता

हितधारकों की पहचान और सहभागिता वित्तपोषित गतिविधियों की प्रकृति, पैमाने, और संभावित E&S जोखिमों तथा प्रभावों के अनुपात में की जाएगी। फंड का उद्देश्य सार्थक परामर्श और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसमें संभावित रूप से हाशिए पर स्थित या संवेदनशील समूहों, जैसे मूलनिवासी समुदाय, महिलाओं और अन्य ऐसे समूहों तक पहुँचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो असमान रूप से प्रभावित हो सकते हैं।¹

¹ Joint MDB Methodological Principles for Assessment of Paris Agreement Alignment:

<https://www.worldbank.org/en/publication/paris-alignment/joint-mdb-paris-alignment-approach>

iv. पेरिस समझौते के साथ संरेखण

फंड के निवेश उद्देश्य पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं, और अपने संचालन को करते समय फंड पेरिस समझौते के उद्देश्यों के साथ संरेखित निवेश करने की दिशा में कार्य करता है, जिसका मार्गदर्शन संबंधित संयुक्त बहुपक्षीय विकास बैंक पेरिस संरेखण दृष्टिकोण¹⁾ द्वारा किया जाता है।

v. ईयू वर्गीकरण²

फंड अपने निवेश के एक हिस्से को यूरोपीय संघ वर्गीकरण विनियमन (EU) 2020/852 की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए काम करता है, जिसमें प्रासंगिक 'कोई महत्वपूर्ण हानि न करें' (DNSH) और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मानदंड शामिल हैं।

i. सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन - सतत वित्त प्रकटीकरण विनियमन (SFDR)³

फंड, स्थिरता-संबंधी प्रकटीकरणों पर विनियमन (EU) 2019/2088 के अनुच्छेद 9 (SFDR) के अनुसार, पर्यावरणीय उद्देश्य वाले सतत निवेश करता है। फंड अपने निवेश निर्णयों के स्थिरता कारकों पर प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों (PAI)⁴ पर विचार करता है और अपनी निवेश-निर्णय प्रक्रिया में स्थिरता जोखिमों को एकीकृत करता है, तथा SFDR आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी वेबसाइट पर संबंधित प्रकटीकरण प्रकाशित कर चुका है।

vi. प्राप्त राशि के उपयोग का दृष्टिकोण

फंड E&S जोखिम वर्गीकरण के लिए “उपयोग-आधारित आय” या “फॉलो द मनी” दृष्टिकोण अपनाता है, विशेष रूप से वित्तीय मध्यस्थों (FI) के माध्यम से अपने निवेशों में। इस दृष्टिकोण के तहत जोखिम वर्गीकरण संबंधित FI की आय के

² टैक्सोनॉमी एक वर्गीकरण प्रणाली है जो उन आर्थिक गतिविधियों के लिए मानदंड निर्धारित करती है जो 2050 तक नेट जीरो पथ के अनुरूप हैं और जलवायु के अलावा अन्य व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह छह प्रमुख पर्यावरणीय उद्देश्यों को स्थापित करती है: जलवायु परिवर्तन शमन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सतत जल उपयोग, परिपत्र अर्थव्यवस्था संक्रमण, प्रदूषण रोकथाम, और जैव विविधता संरक्षण। किसी आर्थिक गतिविधि को सतत माना जाने के लिए, उसका कम से कम एक उद्देश्य में पर्याप्त योगदान होना चाहिए, दूसरों को कोई महत्वपूर्ण हानि (DNSH) नहीं पहुंचानी चाहिए, और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपायों (जैसे मानवाधिकार और श्रम मानक) का अनुपालन करना चाहिए।

³ एसएफडीआर (SFDR) एक ईयू (EU) विनियम है जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों को स्थिरता-संबंधी जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता के माध्यम से स्थायी निवेश में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्रीनवॉशिंग को रोकना है। यह परिसंपत्ति प्रबंधकों, निवेश निधियों, बीमा कंपनियों और वित्तीय सलाहकारों पर लागू होता है।

⁴ SFDR के तहत PAI (Principal Adverse Impact) संकेतकों में 9 अनिवार्य पर्यावरणीय संकेतक शामिल हैं: ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन (स्कोप 1, 2 और 3), कार्बन फुटप्रिंट, निवेशित कंपनियों की GHG तीव्रता, जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा खपत, जैव विविधता पर प्रभाव, जल उत्सर्जन, खतरनाक कचरे का उत्पादन, और UNGC/OECD दिशानिर्देशों का उल्लंघन। इसके अलावा, 5 अनिवार्य सामाजिक और शासन (गवर्नेंस) संकेतकों में बोर्ड में लैंगिक विविधता, लैंगिक वेतन अंतर, मानवाधिकार उल्लंघन, विवादास्पद हथियारों के प्रति एक्सपोज़र, और सामाजिक उल्लंघन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियाँ स्वैच्छिक संकेतकों का भी खुलासा कर सकती हैं, जो पर्यावरणीय कारकों (जैसे भूमि क्षरण, जल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा) और सामाजिक/गवर्नेंस कारकों (जैसे आपूर्ति श्रृंखला में श्रम स्थितियाँ, अत्यधिक CEO वेतन, बाल श्रम जोखिम, और भेदभाव के मामले) से संबंधित होते हैं।

अभिप्रेत उपयोग (अर्थात् उप-ऋणों) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, फंड गतिविधि-स्तर और संबद्ध सुविधाओं (Associated Facilities) पर E&S जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करता है।

vii. लिंग

फंड अपनी निवेश गतिविधियों और E&S प्रबंधन में लैंगिक-उत्तरदायी दृष्टिकोण को एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य लैंगिक-उत्तरदायी वित्तीय क्षेत्र, उद्योग और कृषि-खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इसमें लैंगिक-संबंधित जोखिमों की पहचान, उनका समाधान और उनकी कमी, हरित नौकरियों का समर्थन, तथा महिलाओं के लिए कार्य परिस्थितियों में सुधार शामिल है, साथ ही सभी लिंगों के लिए समान अवसरों और परिणामों को बढ़ावा देना भी शामिल है। सभी निवेशों के लिए लैंगिक-संवेदनशील E&S ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। जहाँ महत्वपूर्ण अंतराल पहचाने जाते हैं—विशेष रूप से SEAH, GBV, या महिलाओं के लिए अपर्याप्त कार्य-स्थितियों से संबंधित—वहाँ लक्षित शमन उपाय किए जाएंगे। जहाँ आवश्यक होगा, इन उपायों को पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ESAP) में शामिल किया जाएगा, ताकि निवेश SEAH और GBV सुरक्षा उपायों के अनुरूप हो सकें।

viii. मानवाधिकार

फंड अपनी सभी निवेश गतिविधियों और E&S प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा वह हितधारकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचने और अपने वित्तपोषण से जुड़े किसी भी प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव का समाधान करने की दिशा में कार्य करता है।

ix. मूलनिवासी समुदाय⁵

फंड अंतरराष्ट्रीय मानकों, जिनमें मूलनिवासी समुदाय के अधिकारों पर UN घोषणा (UNDRIP) और GCF की Indigenous Peoples Policy शामिल हैं, के अनुरूप मूलनिवासी समुदाय के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह किसी भी ऐसी गतिविधि का वित्तपोषण नहीं करेगा, प्रत्यक्ष रूप से अथवा FI के माध्यम से, जिससे मूलनिवासी समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अपेक्षा हो। जहाँ फंड के निवेश मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं, वहाँ फंड सार्थक परामर्श और जहाँ आवश्यक हो वहाँ मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC), तथा परियोजना नियोजन और निर्णय-निर्माण में मूलनिवासी समुदायों के न्यायसंगत समावेश के लिए प्रतिबद्ध है।

अतिरिक्त रूप से, जहाँ प्रासंगिक हो, फंड का उद्देश्य ऐसे लाभ-साझाकरण तंत्रों को बढ़ावा देना है जो मूलनिवासी समुदायों को उन संक्रमण परियोजनाओं से उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अवसरों तक पहुँच प्रदान करें जिनका वह समर्थन करता है, ताकि वे सतत विकास के परिणामों में योगदान दे सकें और उनसे लाभान्वित हो सकें।

1.2 नीतिगत प्रतिबद्धताएँ

ii. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)

⁵ जैसा कि जीसीएफ (GCF) की मूलनिवासी समुदाय की नीति द्वारा परिभाषित है।

फंड एक ESMS लागू करता है और बनाए रखता है, जो उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षेत्रीय मानकों, तथा विकसित होती नियामक और हितधारक अपेक्षाओं के अनुरूप है। ESMS फंड के निवेशों में E&S प्रभावों की पहचान, आकलन, शमन और निगरानी के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है।

फंड अपने ESMS के निरंतर सुधार के लिए समर्पित है, ताकि यह उभरते स्थिरता रुझानों, तकनीकी प्रगति, और सर्वोत्तम प्रथा विकासों के प्रति गतिशील और उत्तरदायी बना रहे। प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा और संवर्धन के माध्यम से, वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक (AIFM) उच्च E&S मानकों को बनाए रखने, सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाने, और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने का प्रयास करता है।

iii. बहिष्कृत निवेश

तालिका 1। बहिष्कृत निवेश

बहिष्करण सूची	फंड द्वारा प्रदान की गई वित्तपोषण का उपयोग (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) बहिष्करण सूची (परिशिष्ट 1: बहिष्करण सूची) में सूचीबद्ध किसी भी परियोजना या गतिविधि को वित्तपोषित करने, उनमें निवेश करने, या उन्हें धन अग्रिम देने के लिए नहीं किया जाएगा।
E&S श्रेणी	फंड अपने निवेशों को, E&S प्रक्रियाओं में वर्णित अनुसार, श्रेणी B और C तथा FI-2 और FI-3 निवेशों तक सीमित रखेगा।

iv. सभी निवेशों (FI और प्रत्यक्ष निवेश) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

निधि द्वारा वित्तपोषित सभी निवेशित संस्थाएँ तालिका 2 में निर्धारित निधि की न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करेंगी।

तालिका 2. सभी निवेशों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

राष्ट्रीय कानून/विधान	निवेशग्राही और उप-ऋणकर्ता लागू राष्ट्रीय E&S कानूनों (श्रम कानूनों सहित) का पालन करेंगे।
शिकायत निवारण तंत्र	निवेशग्राही E&S मामलों पर आंतरिक और बाह्य संचार के प्रबंधन के लिए, जोखिमों के अनुपात में, स्थानीय भाषाओं में एक प्रणाली स्थापित करेंगे और बनाए रखेंगे, जिसमें शिकायतों और ग्रीवांसों पर प्रतिक्रिया देना शामिल होगा, उदाहरण के लिए सार्वजनिक पूछताछ के निपटारे हेतु एक संपर्क बिंदु स्थापित करके।
ESMS	निवेशग्राही एक ऐसा ESMS लागू करेंगे जो फंड द्वारा वित्तपोषित आय के (अपेक्षित) उपयोग से जुड़े जोखिम के स्तर के अनुपात में हो

	और इस संदर्भ में IFC प्रदर्शन मानक (PS) 1⁶ के अनुरूप संरचित हो, जो प्रभावी E&S जोखिम प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है (देखें परिशिष्ट 12: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा और परिशिष्ट 13: वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा)। निवेशग्राही E&S निरीक्षण और सुरक्षा साधनों (जैसे ESMS, ESIA, ESMP, SEP) के कार्यान्वयन, तथा फंड को प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार योग्य कर्मचारियों को नामित करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
श्रम और कार्य स्थितियाँ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की मौलिक अभिसमयों के अनुपालन में, निवेशग्राही और उप-ऋणकर्ता: - कार्यस्थल के भीतर बंधुआ श्रम, बाल श्रम, और किसी भी अन्य दुरुपयोगपूर्ण श्रम प्रथाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएंगे। - यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरी कानूनी रूप से निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों के बराबर या उससे अधिक हो। - भर्ती, पारिश्रमिक, कार्य स्थितियों, प्रतिनिधित्व, पदोन्नति, सेवा-समापन, और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बनाए रखेंगे, जहाँ रोजगार-संबंधी निर्णय केवल नौकरी-संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित हों और लिंग, नस्ल, जातीयता, जाति, विकलांगता, राजनीतिक विश्वास, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि, वैवाहिक स्थिति, ट्रेड यूनियन सदस्यता, प्रवासी स्थिति, या स्वास्थ्य/एचआईवी स्थिति जैसी संरक्षित विशेषताओं पर नहीं। - श्रमिक संगठनों के प्रति सकारात्मक और खुला दृष्टिकोण बनाए रखेंगे, तथा कर्मचारियों के स्वतंत्र रूप से संगठित होने, यूनियन बनाने या उनमें शामिल होने, सामूहिक सौदेबाजी में भाग लेने, और बिना हस्तक्षेप अपने प्रतिनिधिक कार्य करने के अधिकार का सम्मान करेंगे।

⁶ Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts | International Finance Corporation (IFC)

	निष्पक्ष और उचित कार्य स्थितियाँ प्रदान करेंगे, जिनमें सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण, विनियमित कार्य समय, और स्पष्ट रूप से प्रलेखित रोजगार शर्तें शामिल हैं। ये मानक IFC PS 2⁷ के अनुरूप संरचित किए जाएँगे, जो प्रभावी E&S जोखिम प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्र	निवेशग्राही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में वर्णित अधिकारों का सम्मान करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके संचालन और व्यावसायिक आचरण मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें। इसमें न्यायपूर्ण श्रम स्थितियों को बढ़ावा देना, गैर-भेदभाव, संगठन की स्वतंत्रता, तथा उनकी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा शामिल है।
यौन शोषण, दुरुपयोग और उत्पीड़न (SEAH)	निवेशग्राही SEAH को रोकने, कम करने, जाँचने और उसका उपचार करने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे, जो फंड के SEAH के प्रति दृष्टिकोण (परिशिष्ट 2: SEAH के प्रति दृष्टिकोण) के अनुरूप हों, और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की SEAH नीति के अनुरूप विकसित किया गया है।

v. श्रेणी बी प्रत्यक्ष निवेशों के लिए जोखिम-आधारित पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताएँ

निधि द्वारा वित्तपोषित श्रेणी बी के प्रत्यक्ष निवेशों को तालिका 3 में निर्धारित निधि की जोखिम-आधारित आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

तालिका 2 | प्रत्यक्ष निवेशों के लिए जोखिम-आधारित आवश्यकताएँ

IFC प्रदर्शन मानक	सभी श्रेणी B निवेशग्राही गतिविधियों के जोखिम के अनुसार प्रासंगिक IFC PS⁸ का पालन करेंगे, और संसाधन उपयोग, सामुदायिक कल्याण तथा जैव विविधता से संबंधित E&S प्रभावों को न्यूनतम
-------------------	--

⁷ Performance Standard 2: Labor and Working Conditions | International Finance Corporation (IFC)

⁸ अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक, जो IFC प्रदर्शन मानकों (IFC PS) के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के साथ स्पष्ट रूप से अनुरूप हैं, भी स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उचित परिश्रम (due diligence) प्रक्रिया के दौरान फंड द्वारा उनका सत्यापन किया जाए।

	करने के लिए उन्हें एक रूपरेखा के रूप में उपयोग करेंगे। अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक, जो IFC PS के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के साथ स्पष्ट रूप से संरेखित हों, उचित परिश्रम प्रक्रिया के दौरान फंड द्वारा सत्यापन के अधीन, स्वीकार किए जा सकते हैं। जहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) कानून IFC PS के समकक्ष माना जाता है, वहाँ ऐसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुपालन पर्याप्त माना जा सकता है, और IFC PS के साथ संरेखण का पृथक आकलन आवश्यक नहीं होगा।
मूलनिवासी समुदाय	• यदि E&S स्क्रीनिंग के दौरान किसी प्रत्यक्ष निवेश में मूलनिवासी समुदायों पर संभावित प्रभाव पहचाना जाता है, तो परियोजना को IFC PS 7 on Indigenous Peoples और ग्रीन क्लाइमेट फंड की Indigenous Peoples Policy का अनुपालन करना होगा। • जहाँ आवश्यक हो, निवेशग्राही सार्थक सहभागिता करेंगे और मुक्त, पूर्व तथा सूचित सहमति (FPIC) सुनिश्चित करेंगे। • किसी भी प्रत्यक्ष निवेश में उपयुक्त शमन और लाभ-साझाकरण उपाय होने चाहिए। • जहाँ प्रासंगिक हो, परियोजना फंड के Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) (परिशिष्ट 3: Indigenous Peoples Planning Framework) के अनुरूप होगी और उसे लागू करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि मूलनिवासी समुदाय निर्णय-निर्माण में शामिल हों और परियोजना के लाभों में न्यायसंगत रूप से भागीदारी करें।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप (WBG) पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) दिशानिर्देश	• सभी निवेशों का आकलन सामान्य तथा क्षेत्र-विशिष्ट WBG EHS दिशानिर्देशों के परिचालन मानकों, उत्सर्जन सीमाओं और तकनीकी दिशानिर्देशों के विरुद्ध किया जाएगा।
ESIA और प्रासंगिक E&S योजनाएँ	• श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, परियोजना के जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति और पैमाने के अनुरूप, निवेशग्राही द्वारा प्रासंगिक E&S अध्ययन किए जाएँगे। निवेशग्राही को संबंधित ESMP तैयार करना चाहिए। • श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, जहाँ ESDD उच्च या विशिष्ट E&S जोखिमों की पहचान करता है (जैसे महत्वपूर्ण OHS जोखिम;

	खतरनाक पदार्थ और अपशिष्ट; प्रदूषण निवारण और आपातकालीन तैयारी; संवेदनशील रिसेप्टर्स जैसे निकटवर्ती समुदाय; महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जोखिम; SEAH या अन्य प्रसंगगत जोखिम), निवेशग्राही को प्रासंगिक IFC PS और लागू IFC EHS सेक्टर दिशानिर्देशों के अनुरूप उद्देश्य-उपयुक्त पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA)⁹ तथा संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजनाएँ (ESMP)¹⁰ तैयार करनी होंगी। • जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष निवेश निम्नलिखित विकसित करेंगे: ○ Indigenous Peoples Plan (IPP)¹¹ ○ Labor Management Procedure¹² ○ Resettlement Action Plan या Livelihood Restoration Plan¹³ ○ Biodiversity Management Plan (BMP)¹⁴ ○ Emergency Preparedness and Response Plan (EPRP)¹⁵
--	--

⁹ परिशिष्ट 14: संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) रूपरेखा ESIA के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं (Investees) के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹⁰ उदाहरणों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं, जिनके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है और जो स्थानीय समुदायों या जैव विविधता को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती हैं; हीटिंग सिस्टम उन्नयन, जिनके लिए खुदाई की आवश्यकता होती है और जो अस्थायी रूप से आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं; तथा पुनर्योजी कृषि हस्तक्षेप, जो भूमि उपयोग प्रथाओं में बदलाव लाते हैं और पारंपरिक आजीविका या जैव विविधता पर प्रभाव डाल सकते हैं।

परिशिष्ट 15: संकेतात्मक ESMP रूपरेखा (Indicative ESMP Outline) ESMP के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं (Investees) के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹¹ परिशिष्ट 3: स्वदेशी जनजातियों की योजना रूपरेखा (Indigenous Peoples Planning Framework) IPP के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं (Investees) के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹² परिशिष्ट 17: संकेतात्मक श्रम प्रबंधन प्रक्रिया रूपरेखा (Indicative Labor Management Procedure Outline) श्रम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं (Investees) के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹³ परिशिष्ट 18: संकेतात्मक पुनर्वास नीति रूपरेखा और पुनर्वास कार्य योजना (RAP) रूपरेखा (Indicative Resettlement Policy Framework and Resettlement Action Plan Outline) RAP के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹⁴ परिशिष्ट 19: संकेतात्मक जैव विविधता प्रबंधन योजना रूपरेखा (Indicative Biodiversity Management Plan Outline) BMP के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹⁵ परिशिष्ट 20: संकेतात्मक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (EPRP) रूपरेखा (Indicative Emergency Preparedness and Response Plan Outline) EPRP के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

	○ Chance Find Procedure ¹⁶
हितधारक संलग्नता	- निवेशग्राही द्वारा सार्थक हितधारक सहभागिता और परामर्श किया जाएगा। हितधारक सहभागिता की गहराई और संरचना प्रत्येक निवेश से जुड़े E&S जोखिम के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। - श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, जहाँ ESDD उच्च या विशिष्ट जोखिमों की पहचान करता है और/या जहाँ प्रभावों के प्रबंधन के लिए हितधारक सहभागिता आवश्यक है, निवेशग्राही ESIA (या अन्य उपयुक्त E&S आकलन) में परियोजना के जोखिम स्तर के अनुरूप एक Stakeholder Engagement Plan (SEP) शामिल करेगा¹⁷।
आपूर्ति श्रृंखला	वे निवेशग्राही जो ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं के संपर्क में हैं जो महत्वपूर्ण E&S जोखिमों या नकारात्मक प्रभावों से जुड़ी हैं, उन्हें आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों का आकलन करना होगा और अपनी ESMS के संचालन सहित, विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे जोखिमों को कम करने का प्रयास करना होगा। इसे संविदात्मक दायित्वों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

vi. वित्तीय निवेशों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताएँ

निधि द्वारा वित्तपोषित FI निवेशों को तालिका 4 में निर्धारित निधि की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

तालिका 3। सभी FI निवेशों के लिए E&S आवश्यकताएँ

उप-ऋणों का न्यूनतम मानकों के साथ अनुपालन	सभी FI निवेशों को उप-ऋणकर्ता की श्रम प्रथाओं का ILO की मौलिक अभिसमयों के प्रासंगिक सिद्धांतों के विरुद्ध आकलन करने, तथा उप-ऋणकर्ता के ESMS का आकलन करने की क्षमता और योग्यता प्रदर्शित करनी होगी, और यह आकलन उनकी गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुपात में किया जाएगा।
--	---

¹⁶ परिशिष्ट 21: संकेतात्मक आकस्मिक खोज प्रक्रिया रूपरेखा (Indicative Chance Find Procedure Outline) आकस्मिक खोज प्रक्रिया के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

¹⁷ परिशिष्ट 16: हितधारक सहभागिता योजना रूपरेखा – प्रत्यक्ष निवेशों के लिए मार्गदर्शन (Stakeholder Engagement Plan Outline – Guidance for Direct Investments) SEP के लिए एक संकेतात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो निवेश प्राप्तकर्ताओं (Investees) के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

	सभी FI उप-ऋणों की स्क्रीनिंग फंड की बहिष्करण सूची और प्रासंगिक राष्ट्रीय E&S कानूनों के विरुद्ध करेंगे।
ग्राहक संरक्षण	फंड द्वारा समर्थित सभी FI ग्राहक संरक्षण और जिम्मेदार वित्त में अच्छी उद्योग प्रथाओं का पालन करेंगे। उन्हें अच्छी प्रथाएँ लागू करनी होंगी, जिनमें निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं।
E&S जोखिम मूल्यांकन	सभी FI-2 निवेशों को, न्यूनतम मानकों के अतिरिक्त, यह प्रदर्शित करना होगा कि उनके पास FI द्वारा वित्तपोषित गतिविधियों के E&S जोखिम के अनुसार उप-ऋणों को वर्गीकृत करने, आकलन करने और निगरानी करने की पर्याप्त क्षमता है, तथा लागू मानकों का उपयोग E&S प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से संसाधन उपयोग, सामुदायिक कल्याण और जैव विविधता के संदर्भ में।

कोष एक ऐसे निवेश के साथ आगे बढ़ सकता है जहाँ निवेश प्राप्तकर्ता अभी तक कोष के न्यूनतम या लागू जोखिम-आधारित मानकों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में, कोष किसी भी कमी की प्रकृति और महत्व का आकलन करेगा और उपयुक्त शमन उपायों को निर्धारित करेगा। जहाँ आवश्यक हो, इसमें निवेश प्राप्तकर्ता के साथ सहमत एक पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ESAP) शामिल हो सकती है। निवेश-ग्राही को एक उचित समय-सीमा के भीतर शमन उपायों को लागू करने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, चाहे वह आंतरिक रूप से हो या किसी योग्य सलाहकार की सहायता से।

vii. शिकायतें

फंड का AIFM, जैसा कि फंड की E&S प्रक्रियाओं (अनुभाग 2.7) में वर्णित है, एक शिकायत तंत्र बनाए रखेगा ताकि तृतीय पक्ष और हितधारक इस नीति के साथ फंड के अनुपालन और/या उसके निवेशों तथा निवेशग्राहियों के E&S प्रभाव से संबंधित कोई भी चिंता उठा सकें।

1.3 संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ

टीपीआई की गतिविधियों में टीपीआई की पात्रता मानदंडों के अनुसार निम्न-कार्बन, जलवायु-लचीले उद्योग और कृषि-खाद्य प्रणालियों में निवेश के लिए FI, कंपनियों और परियोजनाओं को ऋण साधन प्रदान करना शामिल है। निवेश चक्र के दौरान, टीपीआई के E&S प्रबंधन में विभिन्न हितधारक शामिल होंगे, जिनमें फंड का AIFM और निवेश सलाहकार (“सलाहकार”) शामिल हैं।

फंड यह सुनिश्चित करेगा कि उसके निवेशों के पहचाने गए E&S जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए संसाधनों का पर्याप्त आवंटन हो और इस नीति के अनुप्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। फंड-संबंधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारी ESMS में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप E&S प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

सलाहकार की E&S टीम TPI के पूरे संचालन के दौरान फंड के ESMS के रखरखाव और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। E&S टीम संभावित निवेशों से जुड़े E&S जोखिमों और प्रभावों का आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी सलाहकारों के समर्थन से फंड की E&S आवश्यकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

E&S टीम के एक सदस्य को फंड के लिए E&S अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसकी फंड के E&S मामलों के लिए मुख्य जिम्मेदारी होगी और जो फंड के निवेशकों के लिए मुख्य संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करेगा।

E&S अधिकारी लेनदेन टीमों को परिचालन समर्थन प्रदान करता है और फंड की निवेश समिति (IC) को सलाह देता है। E&S अधिकारी फंड के ESMS को बनाए रखने और अद्यतन करने तथा E&S रिपोर्टिंग दायित्वों की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

प्रभावी सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, ESMS कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को, जहाँ लागू हो, प्रासंगिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। फंड स्तर पर, निवेश गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों को ESMS, E&S जोखिम पहचान, और निगरानी आवश्यकताओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण को विशिष्ट भूमिकाओं के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा और विकसित होते मानकों तथा सीखे गए पाठों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

निवेशग्राही स्तर पर, निवेशग्राहियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपना स्वयं का ESMS विकसित और संचालित करने के लिए क्षमता-निर्माण प्रयास करें, जिनमें आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी शामिल होगा। क्षमता-निर्माण गतिविधियाँ प्रत्येक निवेश की आवश्यकताओं और E&S जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुपात में होंगी और उदाहरण के लिए हितधारक सहभागिता, शिकायत तंत्र, और अनुपालन निगरानी जैसे क्षेत्रों में दक्षताओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होंगी। जहाँ आवश्यक होगा, फंड की TA सुविधा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने में निवेशग्राहियों का समर्थन करेगी।

टीपीआई की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रक्रियाएँ

2.1 संरचना और दायरा

E&S नीति (अनुभाग 1.2) में उल्लिखित सिद्धांत और प्रतिबद्धताएँ निधि की सभी निवेश गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा और मुख्य संदर्भ के रूप में कार्य करती हैं।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रक्रियाएँ (E&S प्रक्रियाएँ) यह निर्धारित करती हैं कि निवेश चक्र के दौरान E&S जोखिमों, प्रभावों और अवसरों का आकलन और प्रबंधन कैसे किया जाता है, और यह निधि, इसके शासी निकायों, इसके सेवा प्रदाता और इसके निवेश-ग्राहियों की संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती हैं।

ये प्रक्रियाएँ E&S नीति में निर्धारित सिद्धांतों, आवश्यकताओं और उद्देश्यों को लागू और परिचालित करने के लिए तैयार की गई हैं। ये निधि के ESMS को लागू करने के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं और पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्थिरता पर IFC प्रदर्शन मानकों (2012) तथा उनके साथ की मार्गदर्शक टिप्पणियों के अनुरूप हैं।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली का सारांश

निधि के ESMS में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निधि की E&S नीति।
- संगठनात्मक क्षमता और संसाधन (अनुभाग 1.3)।
- E&S प्रक्रियाएँ।
- निधि की बहिष्करण सूची (परिशिष्ट 1: बहिष्करण सूची)।
- कार्यान्वयन उपकरण, जैसे दिशानिर्देश, प्रश्नावलियाँ और रिपोर्टिंग टेम्पलेट।

दायरा

यह निधि की व्यावसायिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला पर लागू होता है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश और वित्तीय मध्यस्थों (FIs) के माध्यम से किए गए निवेश दोनों शामिल हैं, और जहाँ लागू हो, निधि की पूँजी से वित्तपोषित उप-ऋणों तक भी विस्तृत होता है।

2.1.1 E&S जोखिम और प्रभाव

TPI की E&S नीति उसके निवेशों से जुड़े E&S जोखिमों और प्रभावों के प्रभावी और न्यायसंगत प्रबंधन—अर्थात् उनसे बचने, उन्हें न्यूनतम करने और उनका शमन करने—को प्राथमिकता देती है। नीचे दी गई तालिका निधि की मुख्य प्रौद्योगिकियों और निवेश फोकस क्षेत्रों से जुड़े संभावित E&S जोखिमों और प्रभावों के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिनमें सामान्य जोखिम और प्रौद्योगिकी-विशिष्ट जोखिम दोनों शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका निधि या किसी निवेश के मुख्य निवेश फोकस क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों और प्रभावों की संपूर्ण सूची प्रदान नहीं करती (और इन पर अतिरिक्त जोखिम और प्रभाव भी लागू हो सकते हैं), न ही यह इंगित करती है कि ऐसे जोखिम और प्रभाव हर मामले में लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों में विशिष्ट निवेश ऐसी विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके लिए अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सलाहकार लागू जोखिमों और/या प्रभावों का मामला-दर-मामला आकलन करेगा और तदनुसार उपयुक्त शमन उपाय विकसित करेगा। सभी निवेशों के लिए E&S नीति (अनुभाग 1.2) में उल्लिखित निधि की E&S आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

निधि अपने निवेशों से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के अपने दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, SFDR RTS की तालिका 1/परिशिष्ट 1 में उल्लिखित PAI संकेतकों पर भी विचार करती है और जानकारी एकत्र करती है, जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में स्थिरता-संबंधी प्रकटीकरण पर विनियमन (EU) 2019/2088 (SFDR) के अनुरूप है।

तालिका 5. सामान्य E&S जोखिम और प्रभाव

नवीनीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन और बैटरी संग्रहण प्रणालियाँ			
E&S जोखिम विषय	संभावित जोखिमों का विवरण	चरण	परियोजना स्तर पर सामान्य शमन उपायों के उदाहरण
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS)	- कर्मचारियों को उच्च-वोल्टेज उपकरण, ऊँचाई और दूरस्थ कार्य वातावरण जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। - जोखिमों में कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त आवास शामिल है, विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों में।	निर्माण, संचालन	OHS प्रबंधन प्रणाली; OHS प्रशिक्षण; PPE आवश्यकताएँ; विद्युत सुरक्षा और ऊँचाई पर काम करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास प्रोटोकॉल; आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ; कर्मचारी आवास योजनाएँ; नियमित OHS निगरानी/ऑडिट; और कर्मचारियों की शिकायत निवारण प्रणाली।
मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण	धूल, उत्सर्जन और खतरनाक पदार्थों के रिसाव के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।	निर्माण, संचालन	पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; धूल नियंत्रण उपाय, अपरदन नियंत्रण, रिसाव रोकथाम, और तूफानी जल प्रबंधन प्रोटोकॉल; सामुदायिक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र।
जल का उपयोग	पैनल की सफाई और धूल नियंत्रण सहित अत्यधिक जल उपयोग, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल सकता है।	निर्माण, संचालन	जल दक्षता उपाय, अवसादन नियंत्रण, कटाव रोकथाम, और जल पुनः उपयोग उपाय।
थर्मल रनअवे और आग (BESS)	बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ अत्यधिक गर्म हो सकती हैं, जिससे विषाक्त गैसों निकल सकती हैं या आग लग सकती है।	पूर्व-निर्माण, निर्माण, संचालन, निष्क्रियकरण	उपयुक्त डिजाइन और संचालन; आग का पता लगाने और रोकथाम के उपाय; दमन प्रोटोकॉल; स्थानीय अधिकारियों के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना; नियमित रखरखाव और निगरानी।
अपशिष्ट प्रबंधन और जीवन-अंत	निर्माण और संचालन से कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें खतरनाक पदार्थ भी शामिल हैं; अनुचित	निर्माण, संचालन, निष्क्रियकरण	अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ; बैटरियों और मॉड्यूल के लिए प्रमाणित रीसाइक्लिंग और

	निपटान स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है। निष्क्रिय सौर पैनलों, टर्बाइनों और बैटरियों से निकलने वाला खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है।		वापस लेने की योजनाएँ; खतरनाक अपशिष्ट का लाइसेंस प्राप्त निपटान।
सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	- परियोजनाओं से शोर, यातायात और अन्य व्यवधान हो सकते हैं जो आस-पास के समुदायों को प्रभावित करते हैं। - सुरक्षा और निर्माण गतिविधियाँ यदि ठीक से प्रबंधित न की जाएँ तो संघर्ष और स्वास्थ्य/सुरक्षा जोखिमों का कारण बन सकती हैं।	निर्माण	सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना; यातायात प्रबंधन योजना; बाड़/संकेत; सामुदायिक जागरूकता; सामुदायिक संपर्क अधिकारी; शिकायत निवारण तंत्र; और स्वैच्छिक सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन।
चमक और परावर्तन	- सौर पीवी परियोजनाओं में चमक और परावर्तन विमानन और सड़क उपयोगकर्ताओं, हवाई यातायात नियंत्रण टावरों तथा आस-पास के समुदायों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।	संचालन	चमक-परावर्तन आकलन; सूक्ष्म-स्थितिकरण और पैनल झुकाव; प्रतिबिंब-रोधी कोटिंग; स्थानीय हवाई अड्डा प्राधिकरणों के साथ समन्वय।
शोर और कंपन	- निर्माण उपकरण शोर और कंपन उत्पन्न करते हैं, जो संभावित रूप से समुदायों और वन्यजीवों को परेशान कर सकते हैं। - संचालन में मौजूद पवन टर्बाइनें समुदायों और वन्यजीवों के लिए शोर और निम्न-आवृत्ति के व्यवधान पैदा कर सकती हैं।	निर्माण, संचालन	पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; ध्वनि अवरोधक; पूर्वानुमान मॉडलिंग और निर्धारित दूरी; अनुसूचीकरण और कटौती उपाय; सामुदायिक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र।
दृश्य प्रभाव	सौर और पवन ऊर्जा दोनों परियोजनाएँ भू-दृश्य को बदल सकती हैं, जिससे पर्यटन, सांस्कृतिक स्थल और संपत्ति मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।	संचालन	दृश्य प्रभाव मूल्यांकन; लेआउट/रंग अनुकूलन; स्क्रीनिंग/लैंडस्केपिंग।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	परियोजनाओं के कारण भौतिक और आर्थिक विस्थापन हो सकता है, जिससे आजीविका और संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है।	निर्माण-पूर्व	RPF/RAP; हितधारक संलग्नता; प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा; आजीविका पुनर्स्थापना; निगरानी।
भूमि उपयोग और जैव विविधता	- भूमि की सफाई से आवास का नुकसान हो सकता है। - पवन ऊर्जा परियोजनाओं में टर्बाइन संचालन से प्रजातियों के टकराव और प्रवासन मार्गों में व्यवधान का खतरा होता है। - सहायक अवसंरचना पारिस्थितिक तंत्र को और अधिक क्षीण कर सकती है और आवासों को खंडित कर सकती है।	पूर्व-निर्माण, निर्माण, संचालन	जैव विविधता आकलन, जैव विविधता प्रबंधन योजनाएँ; आवास मानचित्रण, स्थल-पर्यवेक्षण और निगरानी; स्थल-आधारित सुधार या क्षतिपूर्ति। टकराव के जोखिमों के लिए उपायों में आधारभूत सर्वेक्षण; सूक्ष्म-स्थितिकीकरण; मौसमी/शर्तीय कटौती; निर्माणोपरांत मृत्यु निगरानी और अनुकूली प्रबंधन शामिल हो सकते हैं।
सांस्कृतिक विरासत	निर्माण गतिविधियाँ अनजाने में पुरातात्विक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को बाधित कर सकती हैं, विशेष रूप से ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में।	पूर्व-निर्माण, निर्माण	सांस्कृतिक धरोहर स्क्रीनिंग; संयोगवश खोज प्रक्रिया; प्रेरण और कार्य-रोक प्रोटोकॉल।
लैंगिक-आधारित हिंसा/यौन उत्पीड़न	महिला श्रमिकों और समुदाय के सदस्यों को लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न के बढ़े हुए जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में या निर्माण परियोजनाओं के लिए श्रमिकों के आगमन के दौरान।	निर्माण, संचालन	समान अवसर नीतियाँ; आचार संहिता; ठेकेदार प्रबंधन; SEAH जागरूकता प्रशिक्षण; लिंग-आधारित पृथक् सुविधाएँ; गोपनीय, उत्तरजीवी-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र।
आपूर्ति श्रृंखला	जोखिमों में श्रम संबंधी मुद्दे, महत्वपूर्ण खनिजों की सीमित ट्रेसबिलिटी, तथा सामग्री निष्कर्षण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हैं।	पूर्व-निर्माण, संचालन	आपूर्तिकर्ता आचार संहिता और संविदात्मक प्रावधान (कोई बाल/जबरन श्रम नहीं); जहाँ संभव हो स्क्रीनिंग, पता लगाने की क्षमता और ऑडिट; जहाँ लागू हो सुधारात्मक कार्यवाई; और अनुपालन का दस्तावेजीकरण।

दक्षता और चक्रीयता – ऊर्जा और संसाधन दक्षता, विनिर्माण उद्योग (जैसे वस्त्र, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-उद्योग, और धातु) में प्रक्रिया सुधार, जिसमें उन्नत हीटिंग और कूलिंग, ऊर्जा-कुशल उपकरण और मशीनरी, पुनर्चक्रण और कम-कार्बन अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा-कुशल भवन और अवसंरचना (पुनर्निर्मित/नया) शामिल हैं, अन्य के बीच।

पर्यावरण और सामाजिक जोखिम विषय	जोखिमों का विवरण	चरण	परियोजना स्तर के सामान्य शमन उपाय
श्रम और कार्य की स्थितियाँ	- संवेदनशील श्रमिक, जिनमें प्रवासी, मौसमी श्रमिक और कम-कुशल मजदूर शामिल हैं, जबरन श्रम या बंधुआ मजदूरी के शिकार हो सकते हैं। - इन उद्योगों में बाल श्रम के बढ़े हुए जोखिम भी होते हैं, जिनमें खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चे शामिल हैं।	निर्माण, संचालन	मानव संसाधन नीतियाँ और आचार संहिता; समर्पित मानव संसाधन कर्मचारी; श्रमिकों की शिकायत निवारण तंत्र; और नियमित निगरानी/निरीक्षण।
OHS	कुशलता उन्नयन या रेट्रोफिट के दौरान श्रमिक गर्मी, शोर या खतरनाक रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं; औद्योगिक परिवेश में मशीनरी में उलझने या एर्गोनोमिक तनाव का जोखिम भी हो सकता है।	संचालन	OHS प्रबंधन प्रणाली; OHS प्रशिक्षण; PPE आवश्यकताएँ; आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ; नियमित OHS निगरानी/ऑडिट; और श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र।
खतरनाक पदार्थ (रेट्रोफिट्स)	पुराने भवनों में रेट्रोफिटिंग के दौरान एस्बेस्टस या सीसा-आधारित पेंट्स का पता चल सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।	पूर्व-निर्माण, निर्माण	पूर्व-ध्वंस सर्वेक्षण; लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा निवारण; WBG EHS दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट ट्रेकिंग।
मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण	औद्योगिक प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण में, विषाक्त अपशिष्ट जल और प्रदूषक पैदा करती हैं, जो आसपास की मिट्टी, पानी और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।	संचालन	पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; अपशिष्ट जल उपचार और परमिट; वायु उत्सर्जन नियंत्रण; द्वितीयक कंटेनमेंट; निगरानी प्रणालियाँ।
सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	औद्योगिक गतिविधियाँ और परिवहन दुर्घटनाओं, शोर प्रदूषण और रासायनिक संपर्क के जोखिमों को	संचालन	सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना; यातायात प्रबंधन योजना; बाड़/संकेत; सामुदायिक जागरूकता; सामुदायिक संपर्क

	बढ़ा सकते हैं, जिससे आस-पास के समुदायों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। मजदूरों के लिए खराब आवास और स्वच्छता रोग फैला सकती है, जबकि प्रशिक्षित नहीं किए गए सुरक्षा कर्मचारी स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।		अधिकारी; शिकायत निवारण तंत्र; और स्वैच्छिक सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन।
शोर और धूल (निर्माण गतिविधियाँ)	भवन निर्माण और नवीनीकरण, या उपकरण स्थापना आसपास के समुदायों में धूल, शोर और यातायात संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकती है।	निर्माण	ESMP; धूल नियंत्रण; यातायात प्रबंधन योजना; सामुदायिक सहभागिता; और शिकायत निवारण तंत्र।
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाएं लोगों को भौतिक या आर्थिक रूप से विस्थापित कर सकती हैं, जिससे आजीविका और संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है।	निर्माण-पूर्व	RPF/RAP लागू करें; विकल्पों का विश्लेषण; मुआवजा और आजीविका पुनर्स्थापना; निरंतर परामर्श; और शिकायत निवारण तंत्र।
जैव विविधता	औद्योगिक विस्तार से वनों की कटाई, आवास विखंडन, जल प्रवाह में व्यवधान, तथा प्रकाश, शोर और खुदाई से वन्यजीवों में व्यवधान हो सकता है।	संचालन	जैव विविधता प्रबंधन योजनाएँ; आवास मानचित्रण और संवेदनशील क्षेत्रों से परहेज; बफ़र्स; पुनर्स्थापना।
सांस्कृतिक विरासत को जोखिम	औद्योगिक संचालन का विस्तार अनजाने में पुरातात्विक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को बाधित कर सकता है, विशेष रूप से ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में।	निर्माण-पूर्व	सांस्कृतिक धरोहर स्क्रीनिंग; संयोगवश खोज प्रक्रिया; परिचय और कार्य-रोक प्रोटोकॉल।
भेदभाव, GBV और SEAH	महिलाओं को यौन उत्पीड़न, भेदभाव और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से पुरुष-प्रधान या खराब विनियमित उद्योगों में।	निर्माण, संचालन	समान अवसर नीतियाँ; आचार संहिता; ठेकेदार प्रबंधन; SEAH जागरूकता प्रशिक्षण; गोपनीय, उत्तरजीवी-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र।

आपूर्ति श्रृंखला	जोखिमों में श्रम संबंधी मुद्दे, महत्वपूर्ण खनिजों की सीमित ट्रेसबिलिटी, तथा सामग्री निष्कर्षण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हैं।	पूर्व-निर्माण	आपूर्तिकर्ता आचार संहिता और संविदात्मक प्रावधान (कोई बाल/जबरन श्रम नहीं); जहाँ संभव हो स्क्रीनिंग, पता लगाने की क्षमता और ऑडिट; जहाँ लागू हो सुधारात्मक कार्रवाई; और अनुपालन का दस्तावेजीकरण।
विद्युतीकरण और सतत ईंधन जिसमें आर्क भट्टियाँ; औद्योगिक हीट पंप; इंडक्शन और माइक्रोवेव हीटिंग; बायोएनर्जी स्विच (बायोमास/बायोगैस); इलेक्ट्रिक वाहन और अवसंरचना शामिल हैं			
E&S जोखिम विषय	जोखिमों का विवरण	चरण	सामान्य प्रबंधन / शमन उपाय
OHS और विद्युत खतरे	- श्रमिक इलेक्ट्रिक भट्टियों, हीट पंपों या EV चार्जिंग प्रणालियों में आर्क फ्लैश, विद्युत आघात और जलन के जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं। - अत्यधिक स्थानीय ताप जलने का कारण बन सकता है या ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकता है।	निर्माण, संचालन	ओएचएस प्रबंधन प्रणाली; ओएचएस प्रशिक्षण; पीपीई आवश्यकताएँ; विद्युत सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास प्रोटोकॉल; आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ; नियमित ओएचएस निगरानी/ऑडिट; और श्रमिकों की शिकायत निवारण प्रणाली।
शोर, कंपन और वायु उत्सर्जन	- विद्युत भट्टियाँ और जैव-ऊर्जा ईंधन स्विचिंग शोर, कंपन और धुँएँ का उत्सर्जन कर सकती हैं। - बड़े कंप्रेसर और पंप शोर और कंपन उत्पन्न कर सकते हैं, जो श्रमिकों और आस-पास के समुदायों को प्रभावित करते हैं। - जैव-ऊर्जा प्रक्रियाओं से दहन या पाचन प्रक्रियाओं के दौरान कणिकीय पदार्थ, NO_x, SO_x, और गंध उत्सर्जित हो सकते हैं।	संचालन	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली; ध्वनि आवरण; वेंटिलेशन प्रणालियाँ; और सर्वोत्तम अभ्यास उत्सर्जन नियंत्रण।

अपशिष्ट प्रबंधन (बायोमास / बायोगैस)	यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो राख, डाइजेस्टेट या स्लज मिट्टी या पानी को दूषित कर सकते हैं।	संचालन, निष्क्रियकरण	अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ; लाभकारी पुनः उपयोग कार्यक्रम; लाइसेंस प्राप्त निपटान; और निगरानी कार्यक्रम।
आग, विस्फोट और दबाव संबंधी जोखिम	उच्च-दाब वाले रेफ्रिजरेट, बायोगैस, या बायोमास धूल विस्फोट और आग के जोखिम पैदा करते हैं।	निर्माण और संचालन	खतरनाक क्षेत्र वर्गीकरण; गैस का पता लगाना; धूल प्रबंधन; और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ।
आधारभूत सामग्री की स्थिरता और भूमि-उपयोग परिवर्तन	यदि अच्छी तरह से प्रबंधित न किया जाए तो जैवऊर्जा परियोजनाएं भूमि रूपांतरण का कारण बन सकती हैं या खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।	पूर्व-निर्माण, संचालन	फीडस्टॉक प्रमाणन/ट्रेसबिलिटी प्रोटोकॉल; सामुदायिक सहभागिता; और महत्वपूर्ण आवासों के लिए PS6 स्क्रीनिंग।
सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	EV अवसंरचना या बायोगैस संयंत्रों से संबंधित यातायात और उत्सर्जन आस-पास के निवासियों को प्रभावित कर सकते हैं।	निर्माण, संचालन	सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना; यातायात प्रबंधन योजना; बाड़/संकेत; सामुदायिक जागरूकता; सामुदायिक संपर्क अधिकारी; और शिकायत निवारण तंत्र।
आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिज	विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों के लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट की खनन और प्रसंस्करण से पर्यावरणीय और मानवाधिकार संबंधी जोखिम हो सकते हैं।	पूर्व-निर्माण, संचालन	आपूर्तिकर्ता आचार संहिता और संविदात्मक प्रावधान (कोई बाल/जबरन श्रम नहीं); जहाँ संभव हो, स्क्रीनिंग, पता लगाने की क्षमता और ऑडिट; जहाँ लागू हो, सुधारात्मक कार्रवाई; और अनुपालन का दस्तावेजीकरण।
जलवायु-अनुकूल संसाधन (जैसे जलवायु-स्मार्ट कृषि, जैव-आधारित सामग्री और संसाधन)			
E&S जोखिम विषय	जोखिमों का विवरण	चरण	परियोजना स्तर पर सामान्य शमन उपाय

श्रम और कार्य परिस्थितियाँ	• कमजोर श्रमिक, जिनमें प्रवासी, मौसमी और कम-कुशल मजदूर शामिल हैं, जबरन श्रम या ऋण दासता के शिकार हो सकते हैं। • कृषि क्षेत्र में बाल श्रम के जोखिम बढ़े हुए हैं, जिसमें खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चे भी शामिल हैं। • नई प्रथाएँ और इनपुट्स अप्रशिक्षित श्रमिकों को चोट या स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के संपर्क में ला सकते हैं।	संचालन	ओएचएस प्रबंधन प्रणाली; ओएचएस प्रशिक्षण; पीपीई आवश्यकताएँ; श्रम अनुबंधों और उचित वेतन और काम के घंटों के प्रमाण; श्रमिक आवास मानक; आचार संहिता; शिकायत तंत्र और नियमित निगरानी/ऑडिट।
मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण	• जैव-आधारित प्रसंस्करण तकनीकों में ऐसे रसायन या अपशिष्ट उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जिन्हें यदि ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया, तो वे जल निकायों और मिट्टी को प्रभावित करने वाले हानिकारक बहाव का कारण बन सकते हैं।	संचालन	पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; रासायनिक हैंडलिंग प्रोटोकॉल; द्वितीयक कंटेनमेंट; कृषि रसायनों और प्रक्रिया अपशिष्ट का उचित भंडारण और निपटान; अपशिष्ट जल उपचार; रिसाव रोकथाम उपाय ; कर्मचारी प्रशिक्षण; और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ।
जल उपयोग	• जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अनुचित सिंचाई या जैव-आधारित प्रसंस्करण से जल तनाव और भी बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से ही जल संसाधन सीमित हैं। • जैव-आधारित सामग्री (जैसे जैव-ईंधन, बायोप्लास्टिक) के लिए फसलें उगाने से, विशेष रूप से शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ जल उपलब्धता पहले से ही तंग हो सकती है, उच्च जल खपत हो सकती है।	संचालन	जल प्रबंधन/संरक्षण योजनाएँ; कुशल सिंचाई प्रणालियाँ; जल निकासी परमिट; शिकायत निवारण तंत्र; और हितधारक सहभागिता।

सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	- जैव-आधारित कृषि उत्पादों के लिए भूमि या संसाधनों का विचलन खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है, जिससे उन क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है जहाँ भूमि और जल संसाधन सीमित हैं। - संसाधनों तक सीमित पहुँच खाद्य सुरक्षा और स्थानीय कल्याण को कमजोर कर सकती है। - कमजोर अवसंरचना और बढ़ा हुआ यातायात दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं; नई प्रथाएँ पारंपरिक प्रणालियों में व्यवधान डाल सकती हैं।	पूर्व-निर्माण, संचालन	भूमि उपयोग मूल्यांकन; सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना; यातायात प्रबंधन योजना; बाइबंदी/संकेत-चिन्ह; सामुदायिक जागरूकता; सामुदायिक संपर्क अधिकारी; और शिकायत निवारण तंत्र।
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	कृषि या जैव-आधारित परियोजनाओं का विस्तार भौतिक या आर्थिक विस्थापन का कारण बन सकता है, विशेष रूप से भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर संवेदनशील समूहों में।	निर्माण पूर्व	RPF/RAP लागू करें; हितधारक संलग्नता; प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा; आजीविका पुनर्स्थापना; निगरानी।
भूमि उपयोग और जैव विविधता	संबंधित गतिविधियों के लिए गहन भूमि-उपयोग परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वनों की कटाई, आवास का विनाश, मृदा क्षरण या प्राकृतिक आवासों का कृषि भूमि में रूपांतरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता में ह्रास होता है।	निर्माण, संचालन	भूमि उपयुक्तता स्क्रीनिंग; आवास मानचित्रण; महत्वपूर्ण आवासों से परहेज़; पुनर्स्थापना योजनाएँ; सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाएँ (BMPs); और जैव विविधता निगरानी।
आदिवासी और पारंपरिक समुदाय	कृषि या जैव-आधारित परियोजनाओं का विस्तार मूलनिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से यदि पारंपरिक भूमि का उपयोग उचित एफपीआईसी (FPIC) के	पूर्व-निर्माण, निर्माण, संचालन	IPPs; FPIC प्रक्रियाएँ; और समावेशी हितधारक सहभागिता।

	बिना कृषि विस्तार या जैव-आधारित सामग्री उत्पादन के लिए किया जाता है।		
सांस्कृतिक विरासत	- कृषि गतिविधियों में भूमि की महत्वपूर्ण कटा-छँटाई शामिल हो सकती है (जैसे, भूमि की सफाई, प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण, सिंचाई अवसंरचना) जो पुरातात्विक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को उजागर कर सकती है या नष्ट कर सकती है। यह विशेष रूप से ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में एक जोखिम है। - गलत तरीके से पहचानी गई विरासत स्थल या प्रथाएँ हितधारकों के लिए प्रतिकूल पहुँच प्रभाव पैदा कर सकती हैं।	पूर्व-निर्माण, निर्माण	सांस्कृतिक धरोहर स्क्रीनिंग; संयोगवश खोज प्रक्रिया; प्रेरण और कार्य-रोक प्रोटोकॉल।
GBV/SEAH	- दूरदराज के कृषि क्षेत्रों में, प्रवासी श्रमिकों या मौसमी मजदूरों (अक्सर महिलाएं) को जीबीवी और यौन शोषण के बढ़े हुए जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब मजबूत सुरक्षा उपाय और श्रमिक सुरक्षा का अभाव हो। - कृषि में काम करने वाली महिलाएँ यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का भी सामना कर सकती हैं, विशेष रूप से जहाँ आर्थिक निर्भरता, सीमित गतिशीलता, या कानूनी सुरक्षा तक पहुँच की कमी हो।	निर्माण, संचालन	समान अवसर नीतियाँ; आचार संहिताएँ; ठेकेदार प्रबंधन; SEAH जागरूकता प्रशिक्षण; लिंग-आधारित पृथक सुविधाएँ; गोपनीय, उत्तरजीवी-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र।
आपूर्ति श्रृंखला	कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अक्सर श्रम दुर्व्यवहार, विस्थापन, जैव विविधता की हानि, और पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालन की खराब	पूर्व-निर्माण, संचालन	आपूर्तिकर्ता आचार संहिता और संविदात्मक प्रावधान (कोई बाल/जबरन श्रम नहीं); जहाँ संभव हो, स्क्रीनिंग, पता लगाने की क्षमता और ऑडिट;

	पता लगाने की क्षमता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।		जहाँ लागू हो, सुधारात्मक कार्रवाई; और अनुपालन का दस्तावेजीकरण।
--	--	--	--

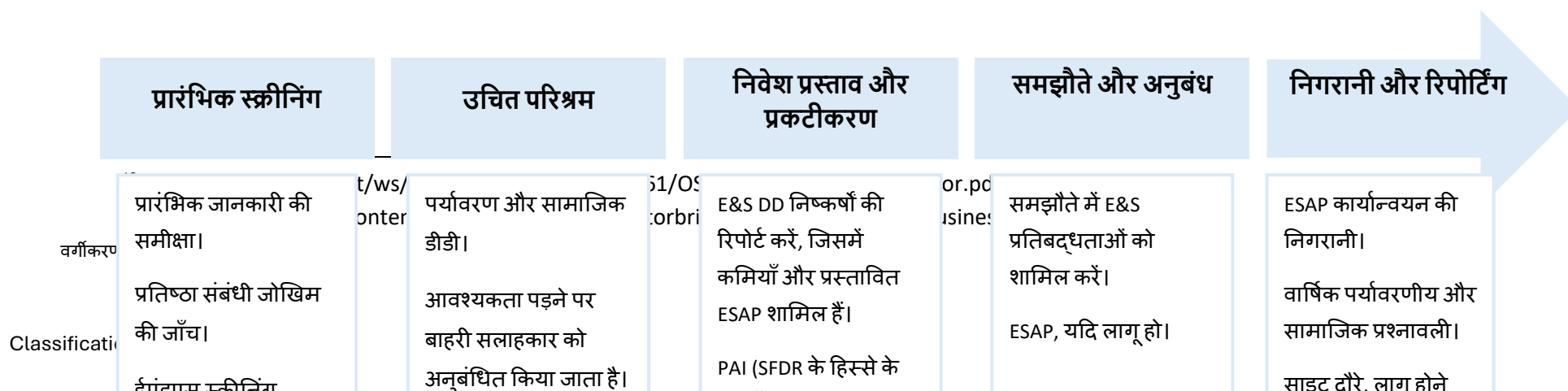
2.1.2 अतिरिक्त मार्गदर्शन

निधि यह मानती है कि E&S जोखिम, प्रभाव और अवसर समय के साथ विकसित होते हैं और क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति या विषयगत मुद्दों के आधार पर अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि IFC PS निधि की समग्र E&S रूपरेखा प्रदान करते हैं, निधि उभरती अच्छी प्रथाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और क्षेत्र-विशिष्ट मानकों का उपयोग करते हुए E&S जोखिमों और प्रभावों की अपनी समझ को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विशेष रूप से कृषि-व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्राहक संरक्षण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, लैंगिकता और समावेशन, मूलनिवासी समुदायों, मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक है। जहाँ उपयुक्त हो, निधि अपने ड्यू डिलिजेंस, निगरानी और निवेश-ग्राहियों के साथ संलग्नता को सूचित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मार्गदर्शन का संदर्भ लेगी, जबकि प्रत्येक निवेश की जोखिम-प्रोफाइल के अनुपात में बनी रहेगी। ऐसे मार्गदर्शन और संदर्भ सामग्रियों के उदाहरणों में विंड एनर्जी सेक्टर में OSH¹⁸ (European Agency for Safety and Health at Work); तथा कृषि-व्यवसाय क्षेत्र में Gender-Based Violence and Harassment (GBVH) को संबोधित करना¹⁹ (IFC) शामिल हैं।

2.2 निवेश चक्र में E&S प्रक्रियाओं का अवलोकन

E&S प्रक्रियाएँ निधि के निवेश चक्र में अंतर्निहित हैं, जिससे E&S मुद्दों का मूल्यांकन और प्रबंधन निवेश निर्णय-निर्माण का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। एक पृथक गतिविधि होने के बजाय, E&S एकीकरण कई इनपुट्स पर आधारित है, जिनमें बहिष्कृत गतिविधियों की स्क्रीनिंग, वर्गीकरण, डेस्कटॉप और स्थल-आधारित ड्यू डिलिजेंस, दस्तावेज़ समीक्षा, सतत निगरानी और घटना-रिपोर्टिंग शामिल हैं।

नीचे आकृति 1 प्रत्येक चरण में प्रक्रिया और E&S विचारों का सारांश प्रस्तुत करती है। प्रत्यक्ष निवेशों के लिए प्रत्येक चरण को अनुभाग 2.4 में और FI निवेशों के लिए अनुभाग 2.5 में विस्तार से बताया गया है।



चित्र 1 / निवेश चक्र में E&S एकीकरण

2.3 वर्गीकरण

निधि की E&S ड्यू डिलिजेंस और निगरानी प्रक्रियाएँ एक E&S वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित हैं, जो संभावित E&S जोखिमों और प्रभावों के पैमाने, महत्व और जटिलता का एक आसानी से समझ में आने वाला व्यापक संकेत प्रदान करती है, जो किसी निवेश से उत्पन्न होने की संभावना है, साथ ही निवेश को ऑन-बोर्ड करने और उसकी निगरानी में अपेक्षित प्रयास के स्तर का भी संकेत देती है। E&S वर्गीकरण प्रणाली यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है कि निधि प्रारंभिक चरण में ही यह पहचान ले कि कोई संभावित निवेश 'श्रेणी A' या 'FI-1' की परिभाषा को पूरा करता है और इस प्रकार आगे विचार के लिए पात्र नहीं है। E&S वर्गीकरण प्रणाली (प्रत्यक्ष निवेशों के लिए A, B और C तथा FI निवेशों के लिए FI-1, FI-2 और FI-3) तालिका 6 में दर्शाई गई है।

तालिका 6. E&S वर्गीकरण

E&S श्रेणी	विवरण
प्रत्यक्ष निवेश	
श्रेणी A	किसी निवेश को "A" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम और प्रभाव वाली गतिविधियाँ शामिल हों, जो व्यक्तिगत या संचयी रूप से विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हों। श्रेणी A गतिविधियों का भौतिक और जैविक पर्यावरण और/या सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण पर पर्याप्त प्रभाव हो सकता है। श्रेणी A निवेशों को निधि द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।
श्रेणी B	किसी निवेश को "B" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें मध्यम-जोखिम वाली गतिविधियाँ शामिल हों, जिनमें संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम और प्रभाव हों, जो पैमाने में सीमित, काफी हद तक प्रतिवर्ती, और सामान्यतः स्वीकृत उपायों तथा अच्छी अंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रथाओं के माध्यम से आसानी से शमन योग्य हों। श्रेणी B के भीतर जोखिमों की प्रकृति और महत्व भिन्न हो सकते हैं; कुछ निवेशों में ऐसे कारकों के कारण उच्च या विशिष्ट जोखिम हो सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम (उदाहरणार्थ बड़े औद्योगिक रेट्रोफिट), खतरनाक सामग्रियों का प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और आपातकालीन तैयारी की आवश्यकताएँ, समुदायों या अन्य संवेदनशील रिसेप्टर्स के निकटता, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, या प्रसंगगत जोखिम (जैसे SEAH या संघर्ष-संवेदनशीलता)। ऐसे मामलों में, जोखिम-प्रोफाइल के अनुपात में उन्नत ड्यू डिलिजेंस, अतिरिक्त E&S साधन (उदाहरणार्थ उद्देश्य-उपयुक्त ESIA और/या विशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ), तथा अधिक आवृत्ति वाली निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।
श्रेणी C	किसी निवेश को "C" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें न्यूनतम या कोई संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक प्रभाव होने की संभावना हो, और इसे सीमित E&S शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किया जा सकता हो।
वित्तीय मध्यस्थ	
श्रेणी FI	किसी निवेश को "FI" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वित्तपोषण संरचना में FIs के माध्यम से निधियों का प्रावधान शामिल हो, जो उप-परियोजनाओं के मूल्यांकन और निगरानी का कार्य करते हैं। FI निवेशों को आगे उप-श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो मौजूदा या प्रस्तावित TPI उप-ऋण पोर्टफोलियो से जुड़े E&S जोखिमों और प्रभावों को दर्शाती हैं:

उपश्रेणी FI-1	किसी FI निवेश को “FI-1” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी FI के मौजूदा या प्रस्तावित TPI पोर्टफोलियो में श्रेणी A गतिविधियों के प्रति वित्तीय जोखिम शामिल हो, या शामिल होने की अपेक्षा हो। श्रेणी FI-1 निवेशों को कोष द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।
उपश्रेणी FI-2	किसी FI निवेश को “FI-2” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी FI के मौजूदा या प्रस्तावित TPI पोर्टफोलियो में मुख्यतः श्रेणी B गतिविधियों, और थोड़ी सीमा तक श्रेणी C गतिविधियों, के प्रति वित्तीय जोखिम शामिल हो, या शामिल होने की अपेक्षा हो।
उपश्रेणी FI-3	किसी FI निवेश को “FI-3” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी FI के मौजूदा या प्रस्तावित TPI पोर्टफोलियो में मुख्यतः श्रेणी C गतिविधियों के प्रति वित्तीय जोखिम शामिल हो, या शामिल होने की अपेक्षा हो।

2.4 प्रत्यक्ष निवेश

2.4.1 उपयुक्तता और दायरा

ये E&S प्रक्रियाएँ सभी प्रत्यक्ष निवेशों के लिए आवश्यकताओं, E&S स्क्रीनिंग और ड्यू डिलिजेंस, समझौतों और अनुबंधों, तथा निगरानी प्रक्रियाओं को कवर करती हैं, अर्थात् ये कॉर्पोरेट और परियोजना निवेशों पर लागू होती हैं। एक परियोजना (“परियोजना”) से आशय पात्र व्यावसायिक गतिविधियों के उस विशिष्ट समूह से है जिसके लिए निवेश-ग्राही द्वारा TPI वित्तपोषण का अनुरोध किया जाता है। यदि वित्तपोषण पहले से प्रतिबद्ध किया जा चुका है, तो परियोजना से आशय वित्तपोषण दस्तावेज़ों में परिभाषित व्यावसायिक गतिविधियों से है।

नीचे वर्णित आवश्यकताएँ और मानक, स्क्रीनिंग और वर्गीकरण, तथा ड्यू डिलिजेंस (DD) प्रक्रिया परियोजना और उसकी संबद्ध सुविधाओं पर लागू होती हैं।

2.4.2 आवश्यकताएँ और मानक

निधि के सभी प्रत्यक्ष निवेशों को निधि की E&S नीति, उसकी प्रतिबद्धताओं, सिद्धांतों और मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, जिनमें सभी निवेशों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ और प्रत्यक्ष निवेशों पर लागू जोखिम-आधारित आवश्यकताएँ शामिल हैं, जैसा कि E&S नीति (अनुभाग 1.2, तालिका 2 और तालिका 3) में वर्णित है। प्रत्यक्ष निवेश निवेश-ग्राही यह सुनिश्चित करेंगे कि निधि-समर्थित गतिविधियों में शामिल ठेकेदार निधि की न्यूनतम E&S आवश्यकताओं का पालन करें और, जहाँ लागू हो, जोखिम-आधारित आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

प्रत्यक्ष निवेश निवेश-ग्राहियों को निधि से प्राप्त आय का उपयोग TPI E&S बहिष्करण सूची के अनुरूप करना आवश्यक है।

गतिविधियों के जोखिम के आधार पर, श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेश निवेश-ग्राहियों को प्रासंगिक IFC प्रदर्शन मानकों (IFC PS) को लागू करना होगा, अर्थात्:

- PS1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन
- PS2: श्रम और कार्यशील परिस्थितियाँ
- PS3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम
- PS4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा

- PS5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास
- PS6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन
- PS7: मूलनिवासी समुदाय
- PS8: सांस्कृतिक विरासत

फंड द्वारा किए गए सभी पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) संबंधी मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं IFC पीएस 2012 पर आधारित हैं, जिसका उपयोग एक व्यापक रूपरेखा के रूप में किया जाएगा। कुछ मामलों में, फंड अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त E&S ढाँचों को स्वीकार्य विकल्पों के रूप में मान सकता है, जहाँ वे सार और इरादे से स्पष्ट रूप से IFC प्रदर्शन मानकों के अनुरूप हों, उदाहरण के लिए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (EBRD) प्रदर्शन आवश्यकताएँ²⁰। यह निर्णय फंड द्वारा निवेश मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान समतुल्यता की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

2.4.3 पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग तथा प्रारंभिक वर्गीकरण

E&S स्क्रीनिंग के दौरान, सलाहकार परियोजना और निवेश-ग्राही की फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का प्रारंभिक आकलन करेगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी तथा निवेश-ग्राही द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक दस्तावेजों, जैसे नीतियाँ, प्रबंधन योजनाएँ, या E&S संबंधित रिपोर्टों, की समीक्षा के माध्यम से सलाहकार निम्नलिखित का आकलन करेगा:

- TPI बहिष्करण सूची का अनुपालन।
- महत्वपूर्ण E&S जोखिम और प्रभाव, जिनमें संदर्भगत जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, SEAH जोखिम और मूलनिवासी समुदायों पर संभावित प्रभाव शामिल हैं।
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम।
- ILO के मूलभूत अभिसमयों, प्रासंगिक IFC PS, तथा फंड की E&S नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप E&S मुद्दों का प्रबंधन करने की निवेश-ग्राही की क्षमता का एक प्रारंभिक मूल्यांकन।

इस चरण में, E&S चेकलिस्ट (टेम्पलेट परिशिष्ट 4: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए सांकेतिक E&S स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में शामिल है) महत्वपूर्ण मुद्दों तथा प्रमुख E&S जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने, तथा परियोजना और निवेश-ग्राही के E&S प्रदर्शन का प्रारंभिक अवलोकन प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। स्क्रीनिंग के दौरान, सलाहकार मूलनिवासी समुदायों की उपस्थिति और/या भूमि, क्षेत्रों या संसाधनों से सामूहिक जुड़ाव की पहचान करने के लिए GCF Indigenous Peoples Policy (GCF IP Policy) की परिभाषा लागू करेगा। यदि इसकी पहचान होती है, तो Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF - परिशिष्ट 3: Indigenous Peoples Planning Framework) के अनुरूप, सलाहकार E&S स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के संबंधित अनुभाग को भरेगा। सलाहकार परियोजना की प्रकृति, स्थान, संवेदनशीलता और पैमाने, तथा उसके संभावित प्रतिकूल E&S प्रभावों के महत्व के आधार पर, फंड के वर्गीकरण (अनुभाग 2.3) का उपयोग करते हुए परियोजना को एक प्रारंभिक E&S श्रेणी प्रदान करेगा। E&S ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया के दौरान अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर इस श्रेणी को समायोजित किया जा सकता है। यदि परियोजना को **श्रेणी A** में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह आगे नहीं बढ़ेगी।

²⁰ [ईबीआरडी प्रदर्शन आवश्यकताएँ](#)।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी सलाहकार को यह निर्णय लेने में सहायता करेगी कि क्या परियोजना DD चरण में आगे बढ़ेगी।

2.4.4 ड्यू डिलिजेंस

E&S ड्यू डिलिजेंस (ESDD)

ESDD प्रक्रिया संभावित परियोजना से जुड़े E&S जोखिमों और प्रभावों, जिनमें SEAH जोखिम शामिल हैं, का आकलन करने तथा फंड की E&S आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन है। ESDD प्रक्रिया, जिसमें स्कोपिंग, कार्य-परिधि, डेस्कटॉप समीक्षा और/या स्थल-दौरे, तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं, प्रत्येक संभावित परियोजना की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाती है। जहाँ आवश्यक हो, ड्यू डिलिजेंस में सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

जहाँ मूलनिवासी समुदाय उपस्थित हों या संभावित रूप से प्रभावित हों, वहाँ ESDD को फंड के IPPF (परिशिष्ट 3: Indigenous Peoples Planning Framework) के अनुरूप रखा जाएगा, जिसमें लागू होने पर मूलनिवासी समुदायों के विशेषज्ञ की भागीदारी भी शामिल होगी।

ESDD निम्नलिखित करेगा:

- देश-विशिष्ट तथा संदर्भगत E&S जोखिमों की पहचान करना, जिनमें मानवाधिकार, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, मूलनिवासी समुदायों के लिए जोखिम, नाजुक और संघर्ष-प्रभावित परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिम, तथा SEAH जोखिम शामिल हैं, और शमन रणनीतियों का मूल्यांकन करना।
- परियोजना-विशिष्ट E&S जोखिम और प्रभाव।
- फंड की न्यूनतम E&S आवश्यकताओं, तालिका 2 और तालिका 3 में निर्धारित जोखिम-आधारित E&S आवश्यकताओं, तथा किसी भी अतिरिक्त लागू मानकों के अनुपालन की पुष्टि करना।
- अनुपालनहीनता के किसी भी क्षेत्रों की पहचान करना, साथ ही उपयुक्त शमन उपायों की पहचान करना।
- यह पुष्टि करना कि संभावित परियोजना, प्रत्यक्ष निवेशों के लिए पेरिस समझौता संरक्षण के आकलन हेतु संयुक्त MDB पद्धतिगत सिद्धांतों के अनुरूप, पेरिस समझौते के शमन और अनुकूलन लक्ष्यों (विवरण नीचे) के साथ संरेखित है।
- निवेश के PAIs का आकलन करना।
- संभावित EU Taxonomy संरक्षण वाले निवेशों के लिए, ESDD DNSH मानदंडों के साथ संरेखण तथा EU Taxonomy विनियमों के अनुरूप Minimum Social Safeguards के पालन का आकलन करेगा। पर्याप्त योगदान मानदंडों के साथ संरेखण की पुष्टि प्रभाव आकलन के हिस्से के रूप में की जाएगी।
- संभावित परियोजना की भौतिक जलवायु जोखिम स्क्रीनिंग शामिल करना, ताकि पेरिस समझौते के अनुकूलन लक्ष्यों तथा जलवायु अनुकूलन पर EU Taxonomy DNSH मानदंड के साथ संरेखण की पुष्टि की जा सके। यदि संभावित रूप से महत्वपूर्ण जलवायु जोखिम तथा निवेश-ग्राही या परियोजना-स्तर की अपर्याप्त लचीलापन की पहचान होती है, तो उपयुक्त अनुकूलन उपायों के लिए सिफारिशों सहित एक विस्तृत जलवायु जोखिम और भेद्यता आकलन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इन आकलनों के लिए बाहरी सलाहकारों को शामिल किया जा सकता है।

ESDD के हिस्से के रूप में, सलाहकार लागू राष्ट्रीय E&S कानूनों और विनियमों की तुलना फंड द्वारा तालिका 2 और 3 में अपनाए गए मानकों से करता है। प्रासंगिक अंतरालों को ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली में प्रलेखित किया जाएगा और, यदि लागू

हो, तो (i) परियोजना डिज़ाइन में बदलाव, (ii) लक्षित प्रबंधन उपाय, और/या (iii) समयबद्ध परिणामों वाले ESAP कार्यों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

जोखिम-आधारित मूल्यांकन

E&S स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रारंभिक E&S श्रेणी अपनाए जाने वाले ESDD दृष्टिकोण के दायरे और गहराई को निर्धारित करेगी। श्रेणी C सहित सभी परियोजनाओं के लिए, सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ प्रासंगिक E&S जानकारी (परिशिष्ट 5: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए E&S ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली की सांकेतिक रूपरेखा के आधार पर) और दस्तावेज़ एकत्र करता है। सभी परियोजनाओं के लिए, इस जानकारी की समीक्षा और मूल्यांकन फंड की तालिका 2 में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूपता के लिए किया जाएगा।

श्रेणी B परियोजनाओं के लिए, सलाहकार और/या एक बाहरी विशेषज्ञ निवेश-ग्राही द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ों, जिनमें E&S अध्ययन शामिल हैं, की समीक्षा करेगा। सलाहकार/बाहरी विशेषज्ञ E&S अध्ययनों की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे वर्तमान परियोजना स्थितियों को सही ढंग से दर्शाते हैं या उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ पहचाने गए जोखिमों की प्रकृति और स्तर के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि क्या एक स्थल-दौरा आवश्यक है। सलाहकार या बाहरी विशेषज्ञ यह आकलन करेगा कि क्या परियोजना तालिका 3 में उल्लिखित फंड की E&S जोखिम-आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप है। सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ एक ESDD रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसकी गहराई निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के अनुपात में होगी। रिपोर्ट में पहचाने गए किसी भी अंतराल और शमन उपायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन श्रेणी B परियोजनाओं के लिए जहाँ उच्चतर या विशिष्ट जोखिम पहचाने जाते हैं, एक स्थल-दौरा किया जाएगा और सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ यह निर्धारित करेगा कि क्या अतिरिक्त आकलन (उदाहरण के लिए, उद्देश्य-उपयुक्त ESIA) आवश्यक है। सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ निवेश-ग्राही द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज़ों, जिनमें उद्देश्य-उपयुक्त ESIA भी शामिल है, की समीक्षा करेगा। सलाहकार/बाहरी विशेषज्ञ ESIA की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वह वर्तमान परियोजना स्थितियों को सही ढंग से दर्शाता है या उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। सलाहकार या बाहरी विशेषज्ञ यह आकलन करेगा कि क्या परियोजना तालिका 3 में उल्लिखित फंड की E&S जोखिम-आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप है। सलाहकार और/या बाहरी विशेषज्ञ एक विस्तृत ESDD रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें विवरण का स्तर निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के अनुपात में होगा, और जिसमें पहचाने गए किसी भी अंतराल तथा शमन उपायों को शामिल किया जाएगा।

प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, फंड विभिन्न कॉर्पोरेट वित्तीय साधनों के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान कर सकता है, जिनमें वरिष्ठ, अधीनस्थ और परिवर्तनीय कॉर्पोरेट ऋण; सार्वजनिक और निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड; तथा सिंडिकेटेड कॉर्पोरेट ऋण शामिल हैं। जहाँ फंड सिंडिकेटेड ऋण लेनदेन में भाग लेता है (जिसमें ऐसे सह-निवेशक शामिल हों जो तुलनीय E&S मानक लागू करते हों और जिनके पास पर्याप्त आकलन क्षमताएँ हों) या निवेश-ग्राही द्वारा जारी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध बॉन्ड में निवेश करता है, वहाँ E&S ड्यू डिलिजेंस अन्य लेनदेन पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, संभावित निवेश-ग्राही के खुलासों और/या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर निर्भर कर सकती है, जो सलाहकार को निवेश-ग्राही की E&S जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन करने तथा फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं।

ESDD निष्कर्षों के आधार पर, सलाहकार परियोजना की E&S श्रेणी की पुष्टि करेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या परियोजना के E&S प्रभाव और जोखिम, तथा उन्हें प्रबंधित करने के लिए निवेश-ग्राही की क्षमता और प्रतिबद्धता, फंड की E&S नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

जहाँ आवश्यक हो, शमन उपायों पर निवेश-ग्राही के साथ सहमति की जाएगी और उन्हें वित्तपोषण दस्तावेज़ों में शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण अंतरालों को ESAP (परिशिष्ट 10: प्रत्यक्ष निवेश के लिए ESAP टेम्पलेट) के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

चूँकि उच्च-गुणवत्ता वाली ESIA और अन्य E&S अध्ययन गहन ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया तथा शमन उपायों के डिज़ाइन के लिए आधार का कार्य करते हैं, TPI ESIA या E&S अध्ययनों के विकास या सुधार में सहायता के लिए तकनीकी सहायता (TA) प्रदान कर सकता है।

2.4.5 निवेश प्रस्ताव और प्रकटीकरण

सलाहकार निवेश प्रस्ताव के लिए एक ESDD सारांश तैयार करेगा। इस इनपुट का उद्देश्य प्रस्तावित निवेश के साथ आगे बढ़ने के बारे में एक सुविचारित निर्णय लेने में IC की सहायता करना है।

न्यूनतम रूप से, निवेश प्रस्ताव में निम्नलिखित E&S-संबंधी जानकारी शामिल होगी:

- परियोजना को सौंपी गई E&S जोखिम श्रेणी और उसका औचित्य।
- पहचाने गए E&S जोखिमों और प्रभावों का सारांश, जिनमें SEAH जोखिम शामिल हैं।
- यह आकलन कि परियोजना E&S नीति में निर्धारित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है।
- जहाँ अंतराल पहचाने जाते हैं, वहाँ उपयुक्त शमन उपाय लागू किए जाएँगे, जिनमें, जहाँ आवश्यक हो, ESAP के माध्यम से उपाय भी शामिल होंगे। शमन उपाय यह वर्णित करेंगे कि परियोजना E&S आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए कौन-सा दृष्टिकोण और समय-सीमा अपनाएगी।
- यह पुष्टि कि परियोजना, जहाँ प्रासंगिक हो, SFDR और EU Taxonomy सहित, फंड के लागू मानकों के अनुरूप है।
- किसी भी प्रासंगिक संदर्भगत जोखिमों (जैसे, राजनीतिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक) की पहचान और विश्लेषण, जो निवेश के E&S प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, फंड अपनी वेबसाइट पर निवेश समिति के निर्णय से कम से कम 30 दिन पहले ESDD निष्कर्षों का एक सारांश प्रकाशित करेगा। जहाँ किसी श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेश में उच्चतर या विशिष्ट जोखिम शामिल हों और एक ESIA (या अन्य महत्वपूर्ण E&S आकलन) तैयार किया गया हो, वहाँ फंड निवेश समिति के निर्णय से कम से कम 30 दिन पहले ESIA (या प्रासंगिक आकलन दस्तावेज़) भी प्रकाशित करेगा।

इस प्रकटीकरण का उद्देश्य प्रासंगिक हितधारकों को संभावित E&S जोखिमों और प्रभावों, शमन उपायों, तथा निवेश-ग्राही की प्रतिबद्धताओं के संबंध में जानकारी तक समय पर पहुँच प्रदान करना है।

2.4.6 अनुबंध

फंड और निवेशित कंपनी के बीच वित्तपोषण दस्तावेज़ों में पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) संबंधी प्रतिबद्धताएँ तथा (यदि लागू हो) एक ESAP शामिल होगा।

2.4.7 निगरानी और रिपोर्टिंग

निवेश-ग्राही की निगरानी और रिपोर्टिंग

सभी प्रत्यक्ष निवेशों को फंड को वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निवेश-ग्राही परियोजना के E&S प्रदर्शन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निगरानी का दायरा, आवृत्ति और प्रारूप E&S जोखिमों और प्रभावों के स्तर के अनुरूप होगा। यह योजना प्रत्येक संकेतक से संबंधित निगरानी पद्धति और आवृत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।

फंड की निगरानी और रिपोर्टिंग

फंड अपनी E&S नीति के अनुसार प्रत्यक्ष निवेशों के E&S अनुपालन की निगरानी करना आवश्यक मानता है। निगरानी का उद्देश्य यह पुष्टि करना होना चाहिए कि परियोजनाएँ वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित E&S प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में हैं।

सलाहकार निवेश-ग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा। यदि फंड किसी सिंडिकेटेड ऋण लेनदेन में भाग लेता है (जिसमें ऐसे सह-निवेशक शामिल हों जो व्यापक रूप से तुलनीय E&S मानक लागू करते हों और जिनके पास पर्याप्त आकलन क्षमताएँ हों) या यदि फंड एक बॉन्डधारक बन जाता है, तो फंड की E&S निगरानी फंड को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी पर भी निर्भर कर सकती है, जैसे कि अन्य लेनदेन पक्षों द्वारा साझा किए गए E&S दस्तावेज और/या निवेश-ग्राही के सार्वजनिक E&S प्रकटीकरण (यदि उन्हें पर्याप्त विवरण और गुणवत्ता का माना जाए)।

श्रेणी B परियोजनाओं के लिए स्थल-दौरों पर परियोजना की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उच्चतर या विशिष्ट जोखिमों की पहचान की गई है। ये दौरे परियोजना की जटिलता तथा E&S जोखिम और प्रभाव के आधार पर सलाहकार या योग्य बाहरी सलाहकारों द्वारा किए जा सकते हैं। दौरे की आवृत्ति विशिष्ट E&S प्रतिबद्धताओं, वितरण अनुसूची, परियोजना की प्रकृति और स्थिति (निर्माण बनाम संचालन), तथा जहाँ लागू हो, ESAP कार्यान्वयन से जुड़ी होगी। परियोजना की प्रगति के साथ और E&S प्रतिबद्धताओं के समापन पर इस आवृत्ति को समायोजित किया जा सकता है।

फंड परियोजना के प्रदर्शन और फंड की E&S नीति के अनुपालन की जाँच करने के लिए परियोजनाओं की यादृच्छिक जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

गंभीर घटनाओं, नियामक अनुपालन संबंधी मुद्दों आदि जैसी कुछ परिस्थितियों में निवेश-ग्राही के संचालन और प्रबंधन दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए तदर्थ पर्यवेक्षण स्थल-दौरों की आवश्यकता हो सकती है।

2.5 वितीय संस्थान

2.5.1 प्रयोज्यता और दायरा

ये E&S प्रक्रियाएँ FI के लिए E&S आवश्यकताओं, E&S स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस, निवेश अनुमोदन, समझौतों और अनुबंधों, तथा निगरानी प्रक्रियाओं को कवर करती हैं, और FI उप-ऋणों के लिए ऑन-लेंडिंग पर लागू होती हैं।

2.5.2 आवश्यकताएँ और मानक

सभी FI निवेशों को फंड की E&S नीति, उसकी प्रतिबद्धताओं, सिद्धांतों और मानकों का पालन करना आवश्यक है, जिनमें सभी निवेशों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ (तालिका 2) तथा FI निवेशों पर लागू जोखिम-आधारित आवश्यकताएँ (तालिका 4) शामिल हैं।

2.5.3 E&S स्क्रीनिंग और निवेश वर्गीकरण मूल्यांकन

E&S स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में, सलाहकार निवेश-ग्राही की फंड की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का एक प्रारंभिक आकलन करेगा।

इस चरण के दौरान, FI E&S स्क्रीनिंग चेकलिस्ट (परिशिष्ट 7: वित्तीय संस्थानों के लिए सांकेतिक E&S स्क्रीनिंग चेकलिस्ट) का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित की प्रारंभिक पहचान प्रदान करने के लिए सार्वजनिक जानकारी का आकलन किया जाएगा:

- महत्वपूर्ण E&S जोखिम और प्रभाव।
- मौजूदा E&S नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
- संभावित उप-ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित संदर्भगत जोखिम, जिनमें मूलनिवासी समुदायों के लिए जोखिम और नाजुक तथा संघर्ष-प्रभावित परिस्थितियाँ शामिल हैं।
- प्रतिष्ठात्मक घटनाएँ।

FI के प्रत्याशित E&S जोखिमों और अपेक्षित उप-ऋणों के आधार पर, सलाहकार फंड के वर्गीकरण (अनुभाग 2.3) का उपयोग करते हुए एक प्रारंभिक E&S जोखिम श्रेणी निर्धारित करेगा। E&S ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त जानकारी एकत्र होने पर इस श्रेणी को संशोधित किया जा सकता है। FI-1 के रूप में वर्गीकृत निवेश आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर का जोखिम फंड के निवेश दायरे से बाहर है। E&S स्क्रीनिंग का मार्गदर्शन करने और संभावित E&S ड्यू डिलिजेंस के लिए फोकस क्षेत्रों की पहचान करने हेतु, सलाहकार कई कारकों का आकलन करेगा, जिनमें शामिल हैं:

- FI के व्यवसाय का प्राथमिक फोकस (जैसे, सूक्ष्म, लघु, या मध्यम उद्यमों को ऋण देना; कॉर्पोरेट वित्त; लीजिंग)।
- प्रस्तावित आय के उपयोग की संरचना और प्रकृति (जैसे, क्रेडिट लाइन, लीजिंग सुविधा)।
- वित्तपोषण के लिए पात्र उप-ऋणों के प्रकार, जिनमें उनका आकार और क्षेत्र शामिल हैं।
- उच्च E&S जोखिमों और प्रभावों वाली गतिविधियों के प्रति उद्भासन।
- वर्तमान में लागू पर्यावरणीय, सामाजिक और मानव संसाधन नीतियाँ, प्रक्रियाएँ या प्रबंधन प्रणालियाँ।
- अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं, विशेष रूप से DFI या IFI के साथ पूर्व या समानांतर संलग्नता।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी सलाहकार को यह निर्णय लेने में सहायता करेगी कि क्या परियोजना DD चरण में आगे बढ़ेगी।

2.5.4 E&S ड्यू डिलिजेंस

ESDD प्रक्रिया संभावित FI निवेशों से जुड़े E&S जोखिमों और प्रभावों, जिनमें SEAH से संबंधित जोखिम शामिल हैं, का आकलन करने का प्राथमिक तंत्र है। इसे फंड के E&S मानकों और सुरक्षा उपायों के साथ संरेखण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ESDD प्रक्रिया प्रत्येक संभावित FI निवेश की प्रकृति, पैमाने और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप तैयार की गई है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) संदर्भ और संभावित संदर्भगत जोखिमों का दायरा निर्धारित करना।
- प्रासंगिक दस्तावेजों की डेस्कटॉप समीक्षा और/या साइट विज़िट, जैसे कि पर्यावरणीय और सामाजिक रिपोर्टिंग, नीतियां और प्रक्रियाएं, या उप-ऋण मूल्यांकन।
- हितधारक संलग्नता, उदाहरण के लिए अन्य निवेशकों या नियामकों के साथ संलग्नता।
- लागू DFI या IFI रिपोर्टिंग और/या FI द्वारा साझा किए गए वर्तमान ESAPs का आकलन।

सलाहकार संस्थान की E&S नीतियों, प्रथाओं और कार्यान्वयन क्षमता का आकलन करने के लिए FI के नामित E&S कर्मियों के साथ समन्वय करेगा। सलाहकार FI और प्रस्तावित FI निवेश पर दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करेगा (परिशिष्ट 8: सांकेतिक E&S FI ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली के आधार पर), और आवश्यकतानुसार आगे की E&S समीक्षाएँ करेगा।

DD प्रक्रिया के दौरान, जहाँ लागू हो, निम्नलिखित पुष्टियाँ और आकलन किए जाएँगे:

- एफआई निवेश की प्रारंभिक ईएंडएस जोखिम श्रेणी का सत्यापन।
- निधि की न्यूनतम E&S आवश्यकताओं और किसी भी अतिरिक्त लागू मानकों के साथ संरेखण की पुष्टि।
- अनुपालन न करने या जोखिम वाले किसी भी क्षेत्र की पहचान, साथ ही ESAPs जैसे उपयुक्त शमन उपायों के साथ।
- एफआई की अपनी ऑन-लेंडिंग गतिविधियों पर फंड की बहिष्करण सूची लागू करने की क्षमता का आकलन।
- एफआई और उसके अपेक्षित उप-ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का मूल्यांकन, जिसमें जलवायु जोखिम, ग्राहक संरक्षण, मूलनिवासी समुदाय और नाजुक तथा संघर्ष-प्रभावित स्थितियाँ शामिल हैं।
- PAI मूल्यांकन की पुष्टि।
- यह पुष्टि कि FI निवेश, मध्यस्थता वित्तपोषण के लिए पेरिस समझौते के संरेखण के मूल्यांकन हेतु संयुक्त MDB पद्धतिगत सिद्धांतों के अनुरूप, पेरिस समझौते के शमन और अनुकूलन लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

ESDD के हिस्से के रूप में, सलाहकार लागू राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक कानूनों और विनियमों की तुलना फंड के तालिका 2 और 4 में परिभाषित अपनाए गए मानकों से करता है। प्रासंगिक कमियों को ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली में प्रलेखित किया जाएगा और यदि लागू हो तो (i) परियोजना डिजाइन परिवर्तनों, (ii) लक्षित प्रबंधन उपायों, और/या (iii) समयबद्ध परिणामों वाले ESAP कार्यों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

वित्तीय संस्थानों में निवेश के लिए, फंड एफआई सीनियर ऋण, टियर 2 पूंजी या अधीनस्थ ऋण, बॉन्ड, और सिंडिकेटेड ऋण जैसे उपकरणों के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान कर सकता है। जहाँ फंड सिंडिकेटेड ऋण लेनदेन में भाग लेता है (जिसमें सह-निवेशक शामिल होते हैं जो व्यापक रूप से तुलनीय E&S मानकों को लागू करते हैं और जिनके पास पर्याप्त मूल्यांकन क्षमताएं हैं) या निवेश-ग्राही द्वारा जारी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध बॉन्ड में निवेश करता है, E&S ड्यू डिलिजेंस अन्य लेनदेन पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, संभावित निवेश-ग्राही से प्राप्त खुलासे, और/या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर निर्भर कर सकता है, जो सलाहकार को निवेश-ग्राही की E&S जोखिमों और प्रभावों को प्रबंधित करने तथा फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

ESDD निष्कर्षों को एक ESDD रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाएगा जो ESDD प्रश्नावली (परिशिष्ट 8: सांकेतिक E&S FI ड्यू डिलिजेंस प्रश्नावली) के प्रासंगिक अनुभागों के साथ संरेखित होगी। ESDD निष्कर्षों के आधार पर, सलाहकार FI निवेश की E&S श्रेणी की पुष्टि करेगा और यह निर्धारित करेगा कि परियोजना के E&S प्रभाव और जोखिम, साथ ही उन्हें प्रबंधित करने के लिए निवेश-ग्राही की क्षमता और प्रतिबद्धता, फंड की E&S नीति आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं।

जहाँ प्रासंगिक कमियाँ पाई जाती हैं, वहाँ निवेश-ग्राही के साथ शमन उपायों पर सहमति की जाएगी। महत्वपूर्ण कमियों को एक ESAP (परिशिष्ट 11: वित्तीय संस्थान के लिए ESAP टेम्पलेट) के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। ESAP पर FI के साथ सहमति की जाएगी और इसे वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

एफआई निवेशित संस्थाओं के ई एंड एस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए, टीपीआई उपयुक्त होने पर तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है।

2.5.5 निवेश प्रस्ताव और प्रकटीकरण

एकत्र की गई E&S जानकारी, विशेष रूप से ESDD प्रक्रिया के माध्यम से, के आधार पर सलाहकार निवेश प्रस्ताव के लिए एक E&S मूल्यांकन सारांश तैयार करेगा। इस इनपुट का उद्देश्य प्रस्तावित निवेश के साथ आगे बढ़ने के बारे में एक सुविचारित निर्णय लेने में IC की सहायता करना है।

न्यूनतम रूप से, निवेश प्रस्ताव में निम्नलिखित ईएंडएस-संबंधी जानकारी शामिल होगी:

- एफआई निवेश को आवंटित ईएंडएस जोखिम श्रेणी।
- ईएंडएस नीति में निर्धारित आवश्यकताओं को FI किस प्रकार पूरा करता है, इसका एक आकलन।
- जहाँ कमियाँ हों, वहाँ एक योजना जिसमें यह बताया गया हो कि FI E&S आवश्यकताओं का अनुपालन कैसे और किस समय-सीमा के भीतर करेगा।
- इस बात की पुष्टि कि निवेश SFDR के अनुरूप है।
- उप-ऋणों के EU वर्गीकरण संरेखण की संभावना का संकेत।
- किसी भी प्रासंगिक संदर्भगत जोखिमों (जैसे, राजनीतिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक) की पहचान और विश्लेषण जो निवेश के E&S प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

एफआई-2 निवेशों के लिए, आईसी के निर्णय से कम से कम 30 दिन पहले फंड की वेबसाइट पर एफआई के ईएसएमएस और, यदि लागू हो, ईएसएपी पर डीडी रिपोर्ट के निष्कर्षों का सारांश प्रकट किया जाएगा। इस प्रकटीकरण का उद्देश्य संबंधित हितधारकों को संभावित ई एंड एस जोखिमों, शमन उपायों, और एफआई की प्रतिबद्धताओं पर जानकारी तक समय पर पहुंच प्रदान करना है।

2.5.6 उप-परियोजनाओं के लिए आवश्यकताएँ

एफआईज़ को फंड की ई एंड एस नीति के साथ-साथ किसी भी अतिरिक्त निवेश-विशिष्ट ई एंड एस आवश्यकताओं के पूर्ण अनुरूप ऑन-लेंडिंग करना आवश्यक है। प्रत्येक एफआई को अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं में प्रासंगिक ई एंड एस घटकों को एकीकृत करना चाहिए ताकि उप-ऋण पोर्टफोलियो में ई एंड एस जोखिमों और प्रभावों की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन को सक्षम किया जा सके।

सभी FI-2 निवेशों को अपने उप-ऋण पोर्टफोलियो के लिए एक E&S जोखिम श्रेणी निर्दिष्ट करनी होगी। उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत उप-ऋण, जो फंड की श्रेणी A के अनुरूप हैं, फंड के वित्तपोषण से बाहर रखे जाएंगे। इसमें कोई भी उप-ऋण शामिल है जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी E&S जोखिम या प्रभाव शामिल हो:

- अनैच्छिक पुनर्वास।
- आदिवासी/ मूलनिवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभावों का जोखिम।
- पर्यावरण, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, जैव विविधता, या सांस्कृतिक विरासत पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव, जो कोष की श्रेणी ए परियोजनाओं की परिभाषा के अनुरूप हों।
- श्रेणी ए परियोजनाओं की फंड की परिभाषा के अनुरूप, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्वपूर्ण जोखिम।

2.5.7 अनुबंध

निधि और निवेशित संस्था के बीच वित्तपोषण दस्तावेज़ीकरण में पर्यावरण और सामाजिक (E&S) संबंधी प्रतिबद्धताएँ तथा एक ESAP (यदि लागू हो) शामिल होगा।

इस खंड में अपवादों की अनुमति दी जा सकती है यदि फंड सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध (हरित) बॉन्ड में निवेश करता है, बशर्ते फंड की उचित परिश्रम प्रक्रिया से यह स्थापित हो चुका हो कि वित्तीय संस्थान (FI) श्रेणी B के उप-ऋणों सहित, फंड की पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है।

2.5.8 निगरानी और रिपोर्टिंग

निवेश-ग्राही की निगरानी और रिपोर्टिंग

सभी FI निवेशों को फंड को एक वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट जमा करनी होती है। निवेश-ग्राही उप-ऋणों के E&S प्रदर्शन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निगरानी का दायरा, आवृत्ति और प्रारूप E&S जोखिमों और प्रभावों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए।

निधि की निगरानी और रिपोर्टिंग

फंड अपनी E&S नीति के अनुसार FIs के E&S अनुपालन की निगरानी करना आवश्यक मानता है।

सलाहकार निवेश-ग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा। यदि कोष किसी सिंडिकेटेड ऋण लेनदेन में भाग लेता है (जिसमें सह-निवेशक शामिल हों जो व्यापक रूप से तुलनीय E&S मानकों को लागू करते हों और जिनके पास पर्याप्त मूल्यांकन क्षमताएं हों) या यदि कोष एक बांडधारक बन जाता है, TPI की E&S निगरानी फंड को वार्षिक रिपोर्ट के स्थान पर अन्य जानकारी पर निर्भर कर सकती है, जैसे कि अन्य लेनदेन पक्षों द्वारा साझा किए गए E&S दस्तावेज़ और/या FI के सार्वजनिक E&S प्रकटीकरण (यदि पर्याप्त विवरण और गुणवत्ता के होने पर)।

पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) जोखिमों और प्रभावों के स्तर के आधार पर, निगरानी के दौरान तीसरे पक्ष के बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों को नियमित ऑडिट करने, एकमुश्त स्पॉट चेक या मूल्यांकन करने

या किसी वित्तीय संस्थान (FI) और उसके उप-परियोजनाओं को विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे ESAP कार्यान्वयन, E&S परिचालन जोखिम समीक्षा) पर सलाह देने के लिए शामिल किया जा सकता है।

निधि, निधि की E&S नीति के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए FIs/उप-परियोजनाओं की यादृच्छिक जांच कर सकता है। गंभीर घटनाओं, नियामक अनुपालन मुद्दों, साइट विस्तार योजना/निर्माण गतिविधियों आदि जैसी कुछ परिस्थितियों में निवेश-ग्राही के संचालन और प्रबंधन दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए अस्थायी पर्यवेक्षण स्थल-भ्रमण की आवश्यकता हो सकती है।

जिन मामलों में FI या उसके उप-परियोजनाओं की E&S निगरानी के भीतर पर्याप्त कमियाँ पाई जाती हैं, उन मामलों में TPI की E&S नीति के अनुसार E&S जोखिमों और प्रभावों को संबोधित करने के लिए संबंधित FI की क्षमता को मजबूत करने हेतु एक उपयुक्त TA पैकेज परिभाषित किया जा सकता है।

ईयू (EU) वर्गीकरण संरेखण

उन उप-ऋण पोर्टफोलियो के लिए जिनमें संभावित ईयू टैक्सोनॉमी संरेखण वाले उप-परियोजनाएँ शामिल हैं, सलाहकार वित्तीय संस्थान (FI) के साथ यह पुष्टि करने के लिए जुड़ेगा कि पहचाने गए उप-ऋण के अनुसार लागू DNSH मानदंड पूरे हुए हैं या यदि अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता है (जिसे सलाहकार सीधे या किसी बाहरी सलाहकार द्वारा किया जा सकता है)। इसके अलावा, सलाहकार यह भी पुष्टि करेगा कि वित्तीय संस्थान (FI) ईयू टैक्सोनॉमी नियमों के अनुरूप MSS का पालन करता है।

2.6 पोर्टफोलियो निगरानी और रिपोर्टिंग

सलाहकार फंड के समग्र E&S प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा करता है और एक पोर्टफोलियो E&S प्रदर्शन रिपोर्ट (ESPR) तैयार करता है। यह रिपोर्ट सभी निवेशों में E&S स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है और निवेशकों को फंड की आवधिक रिपोर्टिंग के लिए आधार का कार्य करती है। ESPR जनवरी से दिसंबर तक के कैलेंडर वर्ष को कवर करती है और इसे अगले वर्ष की दूसरी तिमाही तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

शेयरधारकों को शेयरधारकों के लिए वार्षिक E&S रिपोर्ट (AESRS) के माध्यम से फंड के E&S प्रदर्शन और अनुपालन के बारे में अद्यतन किया जाता है। यह रिपोर्ट वार्षिक निगरानी प्रक्रिया से प्रमुख निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करती है और पूरे पोर्टफोलियो में समेकित E&S अनुपालन डेटा शामिल करती है।

सलाहकार फंड के स्थिरता प्रकटीकरणों के हिस्से के रूप में SFDR PAI संकेतकों के विरुद्ध पोर्टफोलियो का एक वार्षिक आकलन तैयार करेगा।

2.7 शिकायत निवारण तंत्र

फंड का AIFM, E&S जोखिमों से संबंधित चिंताओं या शिकायतों को प्राप्त करने, उनका आकलन करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक मजबूत और उत्तरजीवी-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र (GRM) बनाए रखता है, जिसमें SEAH, GBV, श्रम अधिकार उल्लंघन, पर्यावरणीय घटनाएँ, या अन्य अखंडता-संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

यह तंत्र सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, जिसमें निवेशक, ग्राहक, प्रभावित व्यक्ति और समुदाय, श्रमिक, भागीदार और फंड की गतिविधियों में शामिल या उससे प्रभावित तीसरे पक्ष शामिल हैं।

AIFM के GRM के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- शिकायतों की सुरक्षित, गोपनीय और सुलभ रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना।
- जांच और समाधान के लिए एक समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना।
- जवाबदेही को बढ़ावा देना और शिकायतकर्ताओं, विशेष रूप से SEAH या GBV के उत्तरजीवियों के अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा करना।
- शिकायतों से सीखकर कोष के E&S प्रबंधन में सुधार करना।

फंड का AIFM शिकायतकर्ताओं को उत्पीड़न, प्रतिशोध या सद्भावनापूर्वक शिकायत दर्ज करने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। फंड का AIFM प्रतिशोध के किसी भी विश्वसनीय आरोप को गंभीरता से लेगा।

GRM को AIFM और सलाहकार की वेबसाइट पर यहाँ एक्सेस किया जा सकता है। शिकायतों का प्रभावी निपटान फंड के ESMS में निरंतर सुधार का आधार है; इसलिए, कोई भी शिकायतकर्ता जो सद्भावनापूर्वक किसी भी असंतोष की रिपोर्ट करता है, उसे किसी भी उत्पीड़न, प्रतिशोध या प्रतिकूल परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रियाएँ

हितधारक निम्नलिखित किसी भी माध्यम से शिकायतें या चिंताएँ प्रस्तुत कर सकते हैं:

- ईमेल: शिकायतें AIFMComplaints@finance-in-motion.com पर भेजी जा सकती हैं। ईमेल भेजने वालों को पता होना चाहिए कि उनका ईमेल पता प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा।
- डाक द्वारा: ध्यानार्थ: **Finance in Motion Asset Management S.à r.l.**
68 Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 – Luxembourg – Grand-Duché du Luxembourg
ध्यानार्थ: शिकायत निवारण तंत्र: TPI

सभी शिकायतों को डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीय माना जाता है। शिकायत संबंधी जानकारी – जिसमें शिकायत की प्रकृति, शिकायतकर्ता की पहचान और सहायक साक्ष्य शामिल हैं – को गोपनीय आधार पर संभाला जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि (a) शिकायत संबंधी जानकारी सीमित आधार पर और शिकायतकर्ता की सूचित सहमति से साझा की जाए, और (b) जानकारी केवल उन व्यक्तियों या व्यावसायिक इकाइयों के साथ साझा की जाए जो शिकायत के प्रबंधन या समाधान में भूमिका निभा रहे हैं। SEAH या GBV मामलों जैसी संवेदनशील शिकायतों के लिए, पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता, सहमति और उत्तरजीवी स्वायत्तता को प्राथमिकता दी जाती है।

गुमनाम शिकायतें प्राप्त की जा सकती हैं; हालाँकि, ऐसी शिकायतों को आगे बढ़ाना, उनकी जाँच करना और उनका समाधान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गुमनाम शिकायतकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि:

- इस प्रकार की शिकायतों का यथासंभव इस प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधन किया जाएगा; हालाँकि, शिकायत की गुमनाम प्रकृति के कारण FiM /समूह की जांच करने, संवाद करने, फॉलो-अप करने, या प्रक्रिया की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता सीमित हो सकती है।
- जांच या फॉलो-अप के प्रयास शिकायतकर्ता की गुमनामी बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जब तक कि ऐसी गुमनामी को माफ न कर दिया जाए।

AIFM का शिकायत निवारण अधिकारी GRM प्रक्रिया के प्रबंधन की जिम्मेदारी रखता है। 10 कार्य दिवसों के भीतर, शिकायतकर्ता को यह पुष्टि प्राप्त होती है कि शिकायत प्राप्त हो गई है।

प्रत्येक शिकायत की जांच शिकायत के प्रति निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ दृष्टिकोण से की जाएगी। शिकायतकर्ता, गवाहों और प्रतिवादी(यों) के साथ साक्षात्कार किए जा सकते हैं। जांच के बाद, AIFM शिकायतकर्ता को शिकायत के संबंध में अपनी स्थिति से अवगत कराएगा और उन्हें शिकायत को किसी वैकल्पिक विवाद समाधान निकाय को संदर्भित करने या दीवानी कार्रवाई करने के विकल्प से अवगत कराएगा। यदि शिकायत की प्रक्रिया एक महीने से अधिक समय लेती है, तो शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर भेजेगा, जिसमें विलंब के कारणों की जानकारी दी जाएगी और समीक्षा पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि बताई जाएगी।

2.7.1 GRM आवश्यकताएँ

सभी AIFM कर्मचारियों और सभी निवेश-ग्राहियों के लिए यह आवश्यक है कि वे:

- परियोजना या उप-परियोजना स्तर पर उपयुक्त GRM चैनलों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय कानूनों और लागू अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करें।
- सभी संवादों में गोपनीयता, तटस्थता और गैर-भेदभाव बनाए रखें।
- शिकायतकर्ताओं और उत्तरजीवियों के निर्णयों पर दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने से बचें और इस प्रक्रिया में उनकी स्वायत्तता का सम्मान करें।

2.7.2 सुरक्षा उपाय और SEAH-विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ

फंड SEAH और GBV को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सामान्य GRM प्रक्रिया के अलावा, निम्नलिखित उत्तरजीवी-केंद्रित सुरक्षा उपाय लागू हैं:

- प्रभावित व्यक्तियों के लिए गोपनीय, सुरक्षित और सुलभ रिपोर्टिंग विकल्प, जिनमें संवेदनशील या हाशिए पर पड़े समूहों के लोग भी शामिल हैं।
- शिकायत दर्ज कराने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिशोध से सुरक्षा।
- स्पष्ट जवाबदेही प्रक्रियाएं, जिनमें इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन पाए जाने पर कर्मचारियों या संबद्ध कर्मियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है।
- उत्तरजीवी सहायता, चाहे औपचारिक जांच की जाए या नहीं। प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार उत्तरजीवी की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होगा।

2.7.3 GCF स्वतंत्र प्रतितोष तंत्र (IRM)

हितधारक GCF-वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित शिकायतों के लिए GCF के स्वतंत्र निवारण तंत्र (IRM) का भी उपयोग कर सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करें, जिसमें पात्रता मानदंड और प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसकी जानकारी IRM वेबसाइट: <https://irm.greenclimate.fund> पर उपलब्ध है।

शिकायतें irm@gcfund.org पर ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा इस पते पर भेजी जा सकती हैं:

Independent Redress Mechanism, Green Climate Fund

Songdo International Business District, 175 Art Center-daero
Yeonsu-gu Incheon 22004
Republic of Korea.

2.8 हितधारक सहभागिता और सूचना का प्रकटीकरण

फंड अपने संचालन में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और हितधारकों के साथ अपने संचालन से संबंधित प्रासंगिक जानकारी साझा करने तथा उस तक पहुंच को सुगम बनाने का प्रयास करेगा।

फंड अपनी वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए प्रासंगिक E&S जानकारी का प्रकटीकरण करता है। इसमें शामिल हैं:

- फंड की E&S नीति।
- नियामक प्रकटीकरण, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में स्थिरता-संबंधी प्रकटीकरण पर विनियमन (EU) 2019/2088 (SFDR) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।
- श्रेणी B प्रत्यक्ष निवेशों के लिए ESDD निष्कर्षों और/या ESIA (जहाँ लागू हो) का सारांश, निवेश निर्णय लिए जाने से कम से कम 30 दिन पहले, अंग्रेजी में और परियोजना के स्थान की स्थानीय भाषा में।

फंड यह स्वीकार करता है कि निवेश-ग्राहियों और हितधारकों के बीच ठोस और रचनात्मक संबंध E&S जोखिमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करने और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं। प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, फंड का लक्ष्य है कि प्रासंगिक हितधारकों, जिनमें प्रभावित लोग तथा अन्य हितधारक शामिल हैं जिनकी परियोजना में रुचि है या जो उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, की पहचान की जाए और परियोजना के जीवनकाल के दौरान उन्हें समय पर उचित रूप से शामिल किया जाए। FIs सार्वजनिक प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और हितधारक सहभागिता से संबंधित राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

परिशिष्ट

3.1 परिशिष्ट 1: बहिष्करण सूची

फंड द्वारा प्रदान किया गया वित्तपोषण (सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से) निम्नलिखित परियोजनाओं या गतिविधियों में वित्तपोषण, निवेश या धन प्रदान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा:

1. जबरन श्रम²¹ और/या बाल श्रम²²
2. राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और समझौतों के तहत अवैध माने जाने वाले गतिविधियाँ या सामग्री, या अंतर्राष्ट्रीय चरणबद्ध उन्मूलन या प्रतिबंध के अधीन, जैसे:
 - ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ, PCBs (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल) और अन्य विशिष्ट, खतरनाक औषधीय उत्पाद, कीटनाशक/शाकनाशी या रसायन
 - वन्यजीव या उत्पाद जो संकटग्रस्त प्रजातियों या वन्य जीव-जंतु और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत विनियमित हैं; या
 - अस्थिर मत्स्य पकड़ने की विधियाँ (उदाहरण के लिए, विस्फोटक से मछली पकड़ना, समुद्री पर्यावरण में 2.5 किमी से अधिक लंबाई वाले जालों का उपयोग करके ड्रिफ्ट नेट से मछली पकड़ना या विद्युत झटकों का उपयोग)
3. बेसल कन्वेंशन और अंतर्निहित नियमों के अनुपालन के अलावा अपशिष्ट और अपशिष्ट उत्पादों में सीमा-पार व्यापार
4. रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन या व्यापार²³
5. असंबद्ध ऐस्बेस्टस रेशों का उत्पादन या व्यापार (बंधित ऐस्बेस्टस सीमेंट शीटिंग की खरीद और उपयोग को छोड़कर, जहाँ ऐस्बेस्टस की मात्रा 20 प्रतिशत से कम हो)
6. पोर्नोग्राफी और/या वेश्यावृत्ति
7. नस्लवादी और/या गैर-लोकतांत्रिक मीडिया
8. उत्पादन या व्यापार²⁴: (i) हथियार या गोला-बारूद; (ii) मादक पेय (बियर और वाइन को छोड़कर); (iii) तंबाकू; और (iv) जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम
9. तापीय कोयले का खनन और कोयले से बिजली उत्पादन
10. पीट (peat) का निष्कर्षण और पीट से बिजली उत्पादन

²¹ जबरन श्रम का अर्थ है कोई भी कार्य या सेवा, जो स्वेच्छा से नहीं की गई हो, और जिसे आईएलओ संधियों द्वारा परिभाषित अनुसार बल या दंड की धमकी के तहत किसी व्यक्ति से जबरदस्ती करवाया जाता है।

²² व्यक्तियों को केवल तभी नियोजित किया जा सकता है जब वे कम से कम 14 वर्ष के हों, जैसा कि आईएलओ के मौलिक मानवाधिकार कन्वेंशन (न्यूनतम आयु कन्वेंशन C138, अनुच्छेद 2) में परिभाषित है, जब तक कि स्थानीय कानून अनिवार्य स्कूल उपस्थिति या काम करने की न्यूनतम आयु निर्दिष्ट न करे। ऐसे मामलों में उच्च आयु लागू होगी।

²³ यह चिकित्सा उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण (मापन) उपकरणों और किसी भी ऐसे उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है जहाँ रेडियोधर्मी स्रोत तुच्छ हो और/या पर्याप्त रूप से ढालित हो।

²⁴ यह प्रावधान उन परियोजना/उप-परियोजना प्रायोजकों पर लागू नहीं होता जो इन गतिविधियों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं। “पर्याप्त रूप से शामिल नहीं” का अर्थ है कि संबंधित गतिविधि किसी परियोजना/उप-परियोजना प्रायोजक के मुख्य संचालन के लिए सहायक (अनुषंगी) प्रकृति की होती है।

11. उत्पादन या गतिविधियाँ जो मूलनिवासी समुदायों के स्वामित्व या न्यायिक निर्णयाधीन दावाकृत भूमि पर, उनकी पूर्ण प्रलेखित सहमति के बिना अतिक्रमण करती हों
12. उत्पादन या गतिविधियाँ जो संभावित रूप से सीमित बाहरी संपर्क वाले दूरस्थ समूहों को प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें "स्वैच्छिक अलगाव में रहने वाले लोग", "अलगावग्रस्त लोग" या "प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले लोग" के रूप में भी जाना जाता है, या उनके भूमि और क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं
13. ऐसी गतिविधियाँ जिनके परिणामस्वरूप मूलनिवासी समुदायों का अनैच्छिक पुनर्वास होगा, तथा ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से बचना जो मूलनिवासी समुदायों के भौतिक विस्थापन (अर्थात् पुनर्स्थापन, जिसमें आश्रय की हानि के परिणामस्वरूप आवश्यक पुनर्स्थापन शामिल है), चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और स्थायी हो या अस्थायी, या आर्थिक और व्यावसायिक विस्थापन (अर्थात् परिसंपत्तियों की हानि या परिसंपत्तियों तक पहुँच की हानि जिससे आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होती है) का कारण बन सकती हों
14. जीवाश्म ईंधनों (जिसमें तेल, रेत तेल, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, कोक शामिल हैं) के अन्वेषण, निष्कर्षण, खोज (रॉयल्टी सहित), परिशोधन, उत्पादन, वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधा परियोजनाओं सहित), प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, प्रचार से संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
 - अपस्ट्रीम तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन
 - अपस्ट्रीम तेल और गैस विकास परियोजनाएं
 - जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बिजली उत्पादन संपत्तियाँ
 - ग्रिड में निवेश जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र से बिजली के निष्कासन के लिए उपयोग किया जाएगा
 - उच्च उत्सर्जन कारक वाले पावर ग्रिड के लिए ग्रिड का विस्तार, बिना नई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़े
 - जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों के जीवनकाल को बढ़ाने वाले निवेश (जैसे जीवाश्म ईंधन उद्योग में ऊर्जा दक्षता उपाय)
 - ऊर्जा दक्षता निवेश जो जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों का जीवनकाल बढ़ाते हैं
 - कोयला और थर्मल कोयले का अन्वेषण, खोज, प्रसंस्करण या खनन, परिवहन, वितरण और उपयोग; कोयले के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने वाले भूमि-आधारित परिवहन साधन और संबंधित अवसंरचना
 - नए या किसी मौजूदा कोयला-चालित बिजली संयंत्र, हीटिंग स्टेशनों और सहउत्पादन सुविधाओं (दोहरे सहित) का निर्माण या नवीनीकरण। इन गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं को पूर्व-निर्माण चरण में रद्द करना, जब तक कि कार्य पहले से ही शुरू न हो चुका हो
 - सार्वजनिक ग्रिड के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी भी मौजूदा हेवी फ्यूल ऑयल (HFO)-केवल या डीजल-केवल पावर प्लांट का नया निर्माण या नवीनीकरण, जिससे निरपेक्ष CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
 - जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन या उत्पादन से संबंधित भवन
 - प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन, द्रवीकरण, पुनर्गैसीकरण, संचरण, वितरण और भंडारण
 - सहउत्पादन और त्रि-उत्पादन सहित प्राकृतिक गैस-आधारित बिजली और ताप उत्पादन क्षमता
 - बिटुमिनस शेल, टार सैंड्स या ऑयल सैंड्स से तेल का गैर-पारंपरिक अन्वेषण, खोज और निष्कर्षण
 - टिकाऊ कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमाणित प्रमाण के बिना बायोगैस/बायोमास ऊर्जा उत्पादन

- बिना अपवर्जन वाले तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला या पीट पर आधारित बड़े पैमाने पर जिला हीटिंग/कूलिंग
 - औद्योगिक ताप/शीतलन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कोयला/पीट/तेल
15. खतरनाक रसायनों की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन, व्यापार, भंडारण या परिवहन, या खतरनाक रसायनों का वाणिज्यिक पैमाने पर उपयोग। खतरनाक रसायनों में गैसोलीन, केरोसीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।
 16. रामसर कन्वेंशन के तहत नामित आर्द्रभूमियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियाँ
 17. परमाणु ऊर्जा और परमाणु उद्योग के भीतर विनिर्माण (जैसे परमाणु ईंधन का प्रसंस्करण, यूरेनियम संवर्धन, विकिरणित ईंधन का पुनः प्रसंस्करण)
 18. परमाणु अपशिष्ट का पुनर्संसाधन और भंडारण
 19. उष्णकटिबंधीय और/या प्राथमिक प्राकृतिक वन और/या पुराने वन पर व्यावसायिक पट्टे और लकड़ी की कटाई
 20. प्राकृतिक वन को बागान में परिवर्तित करना
 21. सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनों या उच्च प्राकृतिक मूल्य वाले वनों में उपयोग के लिए लकड़ी काटने वाले उपकरणों की खरीद; ऐसी गतिविधियाँ जो उष्णकटिबंधीय और/या प्राथमिक प्राकृतिक वनों और/या पुराने वन का पूर्ण-सफाया और/या क्षरण करती हैं
 22. लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों का उत्पादन या व्यापार, सिवाय उन उत्पादों के जो टिकाऊ रूप से प्रबंधित वनों से प्राप्त हों
 23. सिंचित वन
 24. पाम तेल के बागान
 25. जीवाश्म ईंधन के परिवहन और भंडारण के लिए समर्पित वाहन और अवसंरचना
 26. जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले समुद्री जहाज और विमान, जिनमें HFO, MDO, MGO, केरोसीन आदि शामिल हैं।
 27. विमानबंदर की क्षमता का विस्तार

3.2 परिशिष्ट 2: SEAH के लिए दृष्टिकोण

फंड, Green Climate Fund (GCF) की Sexual Exploitation, Sexual Abuse, and Sexual Harassment (SEAH) की रोकथाम और उससे संरक्षण संबंधी संशोधित नीति के अनुरूप, फंड के संचालन में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए सत्यनिष्ठा और सम्मान के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इसकी ESMS के कार्यान्वयन के माध्यम से सक्षम किया जाएगा।

1. शून्य-सहिष्णुता नीति

टीपीआई सभी प्रकार के SEAH के प्रति शून्य-सहनशीलता का रुख अपनाता है। इस प्रतिबद्धता के तहत सभी AIFM और सलाहकार कर्मियों, भागीदारों और हितधारकों को ऐसी किसी भी गतिविधि को सहन करने, प्रोत्साहित करने, उसमें भाग लेने या उसमें संलग्न होने से परहेज़ करना होगा जो SEAH का गठन करती हो।

2. रोकथाम और उचित परिश्रम

SEAH की सक्रिय रोकथाम के लिए, फंड ने संभावित जोखिमों की पहचान करने और उपयुक्त शमन उपाय लागू करने हेतु अपने ESDD में SEAH जोखिम आकलनों को एकीकृत किया है।

जहाँ महत्वपूर्ण अंतराल पहचाने जाते हैं, वहाँ फंड निवेश को SEAH आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए निवेश-प्राप्तकर्ता के साथ अपनी सहभागिता में ESAPs, TA या अन्य उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से लक्षित कार्रवाईयाँ शामिल करेगा। इसमें कर्मचारियों और भागीदार संस्थानों के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना शामिल हो सकता है, ताकि वे SEAH घटनाओं की पहचान करने, उन्हें रोकने और उन पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

3. रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र

फंड SEAH घटनाओं के लिए सुलभ, गोपनीय और उत्तरजीवी-केंद्रित रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एआईएफएम का **Grievance Redress Mechanism (GRM)**, SEAH चिंताओं के प्रति संवेदनशील, उत्तरजीवी-केंद्रित और लिंग-उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य उत्तरजीवियों को प्रतिशोध के भय के बिना घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना है। यदि किसी SEAH घटना की रिपोर्ट की जाती है, तो एआईएफएम SEAH के सभी आरोपों की शीघ्र, गहन और निष्पक्ष जांच लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. निगरानी और उत्तरदायित्व

इस SEAH दृष्टिकोण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, फंड निम्नलिखित करेगा:

- **नियमित निगरानी:** अपनी E&S निगरानी प्रथाओं में SEAH पहलुओं को शामिल करेगा, साथ ही SEAH से संबंधित किसी भी ESAP उपायों की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
- **रिपोर्टिंग दायित्व:** किसी भी घटना की रिपोर्ट GCF और अन्य संबंधित हितधारकों को करेगा।
- **निरंतर सुधार:** निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रियाओं में संलग्न रहेगा, जिसमें SEAH घटनाओं और रोकथाम प्रयासों से प्राप्त सबकों को भविष्य की नीतियों और प्रथाओं में शामिल करना होगा।

इन सिद्धांतों और कार्यों को फंड के ESMS में समाहित करके, हम फंड और इसकी वित्तपोषित गतिविधियों से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

3.3 परिशिष्ट 3: मूलनिवासी समुदाय योजना रूपरेखा

3.3.1 परिचय

फंड अपनी सभी निवेश गतिविधियों में मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृतियों और आजीविका का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मूलनिवासी समुदाय योजना रूपरेखा (IPPF) मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाएँ तैयार करना और कार्यान्वित करना है जो मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करें, प्रतिकूल प्रभावों को कम करें, और GCF IP नीति और IFC PS7 के अनुरूप लाभ-साझाकरण को बढ़ावा दें।

फंड उन गतिविधियों का वित्तपोषण नहीं करेगा जिनसे मूलनिवासी समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अपेक्षा हो (श्रेणी A परियोजनाएँ)।

3.3.2 मूलनिवासी समुदाय की विविधता की मान्यता

फंड यह मानता है कि वह विभिन्न देशों में कार्य करता है, जिनमें से प्रत्येक में मूलनिवासी समुदायों के संबंध में अपने-अपने ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ हैं। परियोजनाओं में शामिल मूलनिवासी समुदाय अपने शासन तंत्र, सांस्कृतिक प्रथाओं, भूमि धारण प्रणालियों और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा औपचारिक मान्यता के स्तरों में भिन्न हो सकते हैं। यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि सभी परियोजनाएँ इस विविधता को स्वीकारें और उसका सम्मान करें, तथा जिन विशिष्ट संदर्भों में वे संचालित होती हैं, उनके अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करें।

3.3.3 मुख्य सिद्धांत

जो परियोजनाएँ मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करती हैं, उन्हें निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:

- अधिकारों और आत्म-निर्णय का सम्मान: परियोजनाओं को UNDRIP में वर्णित मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, और उनकी आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए।
- स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC): जहाँ परियोजनाओं के आदिवासी भूमि, संसाधनों या आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, वहाँ कार्यान्वयन से पहले FPIC आवश्यक है।
- अर्थपूर्ण भागीदारी: मूलनिवासी समुदायों को परियोजना संरचना, निर्णय लेने और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- न्यायसंगत लाभ-साझाकरण: परियोजनाओं को ऐसे तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए जो मूलनिवासी समुदायों को परियोजना के परिणामों से न्यायसंगत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दें।
- प्रतिकूल प्रभावों से बचाव और शमन: जहाँ संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान की जाती है, वहाँ शमन उपाय मूलनिवासी समुदायों के सहयोग से विकसित किए जाने चाहिए।
- सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त दृष्टिकोण: सहभागिता रणनीतियों और शिकायत निवारण तंत्र को मूलनिवासी समुदायों की भाषाओं, परंपराओं और शासन संरचनाओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाना चाहिए।

3.3.4 मूलनिवासी समुदायों की स्क्रीनिंग और पहचान

E&S स्क्रीनिंग चरण के दौरान यह पहचाना जाएगा कि क्या मूलनिवासी समुदायों मौजूद हैं या प्रभावित हैं। यद्यपि IPPF विविध संदर्भों को मान्यता देता है, TPI एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से स्क्रीनिंग का परिचालन करेगा, जो (i) राष्ट्रीय मान्यता की स्थिति की परवाह किए बिना GCF IP Policy की परिभाषा लागू करेगा; (ii) ऐतिहासिक और सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलताओं, जिनमें कोई भी तनाव या संघर्ष शामिल है, पर विचार करेगा; और (iii) राष्ट्रीय स्थितियों और GCF आवश्यकताओं के बीच किसी भी विचलन का दस्तावेजीकरण करेगा।

इस प्रक्रिया को सूचित करने के लिए, फंड विश्वसनीय, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, जैसे Minority Rights Group International डेटाबेस, IWGIA का Indigenous World, Convention 169 के संबंध में ILO का Normlex डेटाबेस, और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्टों का उपयोग करेगा। अफ्रीकी देशों के लिए, स्वदेशी आबादी और समुदायों पर अफ्रीकी आयोग के विशेषज्ञों के कार्य समूह की 2005 की रिपोर्ट में उल्लिखित स्थितियों पर भी विचार किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि जो मूलनिवासी समुदाय GCF की परिभाषा को पूरा करते हैं, उनकी पहचान तब भी की जाए जब घरेलू कानून उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता हो। स्क्रीनिंग में परामर्श किए गए स्रोतों और समावेशन/बहिष्करण निर्णयों के औचित्य को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

जब स्क्रीनिंग चरण में मूलनिवासी समुदायों की उपस्थिति और/या भूमि/क्षेत्रों/संसाधनों से सामूहिक लगाव का पता चलता है, तो सलाहकार स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में संबंधित अनुभाग भरता है। प्रत्यक्ष निवेशों के लिए, इसमें शामिल होगा:

- GCF परिभाषा के अनुसार पहचाने गए मूलनिवासी समुदायों और/या भूमि/क्षेत्र/संसाधनों से सामूहिक जुड़ाव
- परियोजना क्षेत्र में मूलनिवासी समुदायों का ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भ तथा प्रारंभिक भेद्यता मूल्यांकन
- मूलनिवासी समुदायों के समावेशन के लिए प्रारंभिक संभावित जोखिम, प्रभाव और अवसर
- एक प्रारंभिक आकलन यह निर्धारित करने के लिए कि क्या GCF IP नीति के अनुसार FPIC लागू होता है
- ESDD प्रक्रिया के लिए सामान्य सिफारिशें

वित्तीय मध्यस्थों के लिए, यदि स्क्रीनिंग चरण में मूलनिवासी समुदायों की उपस्थिति और/या भूमि/क्षेत्रों/संसाधनों से सामूहिक लगाव का पता चलता है और यह अपेक्षित है कि उप-ऋण पोर्टफोलियो उक्त मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करेगा, तो सलाहकार स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में संबंधित अनुभाग भरता है। वित्तीय मध्यस्थों के लिए इसमें शामिल होगा:

- GCF परिभाषा के अनुसार पहचाने गए मूलनिवासी समुदाय और/या भूमि/क्षेत्र/संसाधनों से सामूहिक जुड़ाव
- अपेक्षित उप-ऋण पोर्टफोलियो क्षेत्र में मूलनिवासी समुदायों का ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भ, साथ ही प्रारंभिक भेद्यता मूल्यांकन
- पहचाने गए मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले उप-ऋणों की संभावना और संभावित प्रभाव
- ESDD प्रक्रिया के लिए सामान्य सिफारिशें

3.3.5 पर्यावरणीय और सामाजिक सम्यक् परिश्रम (E&S Due Diligence)

जहाँ GCF IP Policy द्वारा परिभाषित मूलनिवासी समुदायों परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद हों, या भूमि, क्षेत्रों या संसाधनों से उनका सामूहिक लगाव हो जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष निवेशों के लिए ESDD निम्नलिखित करेगा:

- प्रभावों का आकलन करने और ऐसे प्रभावों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने, शमन करने और/या उनके लिए उपयुक्त तथा न्यायसंगत क्षतिपूर्ति के उपायों की पहचान करने हेतु एक मूलनिवासी समुदायों के विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा।
- निवेश-प्राप्तकर्ता से जोखिमों, प्रभावों और लाभों का आनुपातिक आकलन कराने की अपेक्षा करेगा।
- यदि मूलनिवासी समुदायों पर प्रभाव की पुष्टि होती है, तो निवेश-प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि परियोजना गतिविधियों की शुरुआत से पहले प्रभावित समुदायों की सार्थक सहभागिता के साथ एक IPP विकसित किया जाए।
- यह अपेक्षा करेगा कि निवेश-प्राप्तकर्ता, जहाँ GCF IP Policy के तहत आवश्यक हो, FPIC को एक पुनरावृत्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित और योजनाबद्ध करे।

- यह पुष्टि करेगा कि परियोजना का बजट सहभागिता (जिसमें अनुवाद और सुविधा-प्रदान शामिल हैं), FPIC, शमन उपायों और सहमत लाभ-साझाकरण उपायों को कवर करता है।

वित्तीय मध्यस्थों के लिए, यदि स्क्रीनिंग के दौरान यह पहचाना जाता है कि TPI का उप-ऋण पोर्टफोलियो स्थानीय मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करने की अपेक्षा है, तो ESDD निम्नलिखित करेगा:

- यह आकलन करेगा कि क्या वित्तीय मध्यस्थ के पास इस IPPF के अनुरूप मूलनिवासी समुदायों पर संभावित प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और संस्थागत क्षमता है।
- किसी भी अंतराल और आवश्यक शमन उपायों की पहचान करेगा।

निष्कर्ष ESDD रिपोर्ट में और, जहाँ लागू हो, ESAP में परिलक्षित किए जाएंगे।

3.3.6 FPIC

FPIC ट्रिगर GCF IP Policy §7.2 का पालन करते हैं (उदाहरण के लिए, भूमि, क्षेत्रों, संसाधनों, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत, या पुनर्वास पर प्रभाव)। FPIC एक प्रक्रिया भी है और एक परिणाम भी। FPIC प्रक्रिया निम्नलिखित होनी चाहिए:

- पुनरावृत्तिमूलक: उन किसी भी गतिविधियों के शुरू होने से पहले शुरू होना जो मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित कर सकती हैं, और परियोजना के डिजाइन तथा कार्यान्वयन के दौरान जारी रहना।
- पारदर्शी और समावेशी: परियोजना के बारे में स्पष्ट, सुलभ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त जानकारी प्रदान करना।
- स्वैच्छिक और बिना दबाव के: यह सुनिश्चित करना कि मूलनिवासी समुदाय अपनी भागीदारी के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें।
- दस्तावेजीकृत और निगरानी-युक्त: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परामर्शों और समझौतों का अभिलेख रखना।

निवेश-प्राप्तकर्ताओं से ऐसी प्रक्रिया रखने की अपेक्षा की जाएगी जो:

- प्रतिनिधि संस्थानों का मानचित्रण शामिल है
- नियमों, अनुवादकों और समय-सीमा पर एक समझौता शामिल करता है
- सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रारूपों का उपयोग करते हुए स्थानीय भाषाओं में जानकारी का प्रकटीकरण शामिल करती है
- जबरदस्ती से मुक्ति सुनिश्चित करता है
- परिणामों, समझौतों या उनकी अनुपस्थिति का दस्तावेजीकरण
- आवश्यकतानुसार (पुनरावृत्तिशील) अनुवर्ती संवादों के लिए संसाधन शामिल हैं
- FPIC का संचालन और दस्तावेजीकरण करने, तथा किसी भी सहमत शर्तों को लागू करने के लिए एक समर्पित बजट पंक्ति (आकस्मिकता सहित) शामिल करती है। जहाँ FPIC आवश्यक हो, वहाँ IPP में FPIC योजना, समय-सीमा और बजट शामिल होंगे।

3.3.7 लाभ-साझाकरण तंत्र

परियोजनाओं को ऐसे तंत्र स्थापित करने चाहिए जो मूलनिवासी समुदायों को परियोजना के लाभों में भागीदारी करने में सहायता करें। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- रोज़गार के अवसर और कौशल प्रशिक्षण।

- जहाँ लागू हो, राजस्व-साझाकरण मॉडल।
- सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के लिए समर्थन।
- मूलनिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में निवेश।

लाभ-साझाकरण और आजीविका संवर्धन उपाय प्रभावित मूलनिवासी समुदायों के समुदायों के साथ परामर्श में तैयार किए जाते हैं, IPP/ESAP में विशिष्ट कार्रवाइयों, बजटों और समय-सीमाओं के साथ परिलक्षित होते हैं, और मूलनिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सहमत संकेतकों के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है।

3.3.8 मूलनिवासी समुदाय योजना (IPP)

जब मूलनिवासी समुदायों पर संभावित प्रभाव हों, तो परियोजनाओं को एक मूलनिवासी समुदाय योजना (IPP) विकसित करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य स्वदेशी चिंताओं, अधिकारों और लाभों को परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में उचित रूप से एकीकृत करना है। इस IPP में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को शामिल करना चाहिए:

- **परिचय:** परियोजना का अवलोकन और मूलनिवासी समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव।
- **कानूनी और संस्थागत ढांचा:** प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सारांश।
- **मूलनिवासी समुदायों की आधारभूत प्रोफ़ाइल:** प्रभावित मूलनिवासी समुदायों का विवरण, जिसमें उनकी जनसांख्यिकी, संस्कृति, शासन और आजीविका शामिल हैं।
- **परामर्श और FPIC प्रक्रिया:** स्वदेशी लोगों के साथ सहभागिता का दस्तावेजीकरण, जिसमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ FPIC प्रक्रिया शामिल है।
- **लैंगिक मूल्यांकन:** लिंग-विशिष्ट जोखिमों और अवसरों की पहचान, जिसमें GBV/SEAH संबंधी विचार शामिल हैं।
- **सामुदायिक-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** सतत संसाधन उपयोग और लाभ-साझाकरण के लिए रणनीतियाँ।
- **भू-अधिकार व्यवस्था:** भूमि और संसाधन अधिकारों का दस्तावेजीकरण, जिसमें प्रथागत और सामूहिक भू-अधिकार प्रणालियाँ शामिल हैं।
- **प्रभाव आकलन और शमन उपाय:** संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान तथा उन्हें संबोधित करने की रणनीतियाँ।
- **लाभ-साझाकरण योजना:** यह सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ कि मूलनिवासी समुदायों को परियोजना से न्यायसंगत लाभ प्राप्त हों।
- **कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ और संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ:** निर्णय-निर्माण में मूलनिवासी प्रतिनिधित्व सहित, IPP को लागू करने हेतु भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ।
- **बजट:** सहभागिता, FPIC, शमन और लाभ-साझाकरण उपायों के लिए लागत अनुमान और बजट आवंटन।
- **समय-सारिणियाँ:** परामर्श प्रक्रियाओं, आकलन, शमन और लाभ-साझाकरण उपायों, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन सहित, IPP के अंतर्गत कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के लिए सहमत समय-सीमा।
- **निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन:** ढाँचा IPP के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए।

3.3.9 परियोजना स्तर का शिकायत निवारण तंत्र

मूलनिवासी समुदायों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त परियोजना-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (GRM) स्थापित किया जाना चाहिए। इस तंत्र में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- मूलनिवासी प्रतिनिधियों के परामर्श से डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
- जहाँ लागू हो, पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं की अनुमति दें।

- कई सुलभ चैनल प्रदान करें (गुमनाम विकल्पों सहित)।
- स्थानीय भाषाओं में संचालित होना।
- शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करना
- एस्केलेशन के लिए TPI और GCF GRMs पर जानकारी शामिल करें।

3.3.10 निगरानी और रिपोर्टिंग

जो परियोजनाएँ मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करती हैं, उनमें मूलनिवासी समुदायों की सहभागिता, लाभों और शिकायतों को ट्रैक करने के लिए एक निगरानी प्रणाली शामिल होनी चाहिए। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- नियमित प्रगति रिपोर्ट और मूलनिवासी नेतृत्व द्वारा निगरानी।
- जहाँ आवश्यक हो, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट।
- आवश्यकतानुसार परियोजना गतिविधियों को समायोजित करने के लिए फीडबैक लूप।

3.3.11 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

फंड का सलाहकार IPPF को बनाए रखने और लागू करने, उपकरणों की समीक्षा और अद्यतन करने, स्क्रीनिंग और सम्यक् परिश्रम प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, FPIC प्रक्रिया और परिणाम की निगरानी करने, तथा IPPs का प्रकटीकरण करने के लिए जिम्मेदार होगा। जहाँ प्रासंगिक हो – विशेष रूप से फंड की TA Facility के अंतर्गत गतिविधियों के संबंध में, जहाँ IPPs प्रासंगिक हो सकते हैं – सलाहकार विशेषज्ञता का उपयोग करेगा और UNIDO तथा संबंधित UN संस्थाओं को शामिल करेगा।²⁵

प्रत्यक्ष निवेशों के निवेश-प्राप्तकर्ता, योग्य मूलनिवासी समुदायों के विशेषज्ञों के साथ SEP/IPP/FPIC को विकसित करने और लागू करने, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सहभागिता सुनिश्चित करने, और प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

FIs इस IPPF के अनुरूप उप-ऋणों के माध्यम से मूलनिवासी समुदायों पर संभावित प्रभावों के पर्याप्त प्रबंधन की अनुमति देने वाला एक ESMS बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

²⁵ यूएनआईडीओ (UNIDO) अपनी पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करता है, जिनमें संचालनात्मक सुरक्षा 4 (Operational Safeguard 4) शामिल है, जो मूलनिवासी समुदायों (Indigenous Peoples) से संबंधित है।

3.4 परिशिष्ट 4: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट

प्रत्यक्ष निवेशों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट		
निवेशित संस्था और/या परियोजना का नाम		
- प्राप्त राशि के नियोजित उपयोग /वित्तपोषित गतिविधि का प्रकार। - परियोजना का स्थान।		
स्क्रीनिंग विषय	हाँ/नहीं	टिप्पणियाँ/तर्क
क्या इस निवेश में एक या अधिक ऐसी गतिविधियाँ शामिल होंगी जो बहिष्करण सूची में हैं?		
क्या इस चरण में कोई प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम की घटनाएँ पहचानी गई हैं?		
वर्तमान चरण में, क्या संभावित प्रत्यक्ष निवेश स्थानीय कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है?		
क्या ये गतिविधियाँ स्थानीय समुदायों और श्रमिकों के लिए GBV या SEAH के जोखिम को बढ़ा सकती हैं?		
क्या इस निवेश का संरेखण यूरोपीय संघ वर्गीकरण (EU Taxonomy) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होने की संभावना है?		
PAI पर अपेक्षित प्रभाव क्या है?		
अतिरिक्त संदर्भात्मक जोखिम		[इनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

		• यदि लागू हो तो नाजुक और संघर्ष-प्रभावित स्थितियाँ • आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी मुद्दे अनुशंसित ESDD दायरे में निष्कर्ष शामिल करें]
IFC प्रदर्शन मानक	क्या PS ट्रिगर होगा: हाँ/नहीं	टिप्पणियाँ/स्पष्टीकरण/दस्तावेजीकरण
PS1 – पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली		
PS2 - श्रम और कार्य परिस्थितियाँ तथा ILO के मूलभूत संधियाँ		
PS3 - संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम		
PS4 - सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा		
PS5 - भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास		
PS6 - जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन		
PS7 - मूलनिवासी समुदाय क्या परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में मूलनिवासी समुदाय मौजूद हैं, या क्या GCF मूलनिवासी समुदायों की नीति द्वारा परिभाषित अनुसार, उनका उस क्षेत्र से सामूहिक लगाव या अधिकार हैं?		[यदि हाँ, तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है: • कौनसे मूलनिवासी समुदायों प्रभावित हैं? • क्या देश कानूनी रूप से मूलनिवासी समुदायों को मान्यता देता है? क्या राष्ट्रीय स्थिति और GCF मूलनिवासी समुदायों की नीति के बीच कोई विचलन देखा गया है? (स्पष्ट करें)

		- परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में मूलनिवासी समुदायों का ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भ क्या है? - क्या मूलनिवासी समुदायों को कोई ऐसे कारक प्रभावित करते हैं जो उनकी भेद्यता को बढ़ाते हैं (जैसे, आर्थिक रूप से हाशिए पर होना, भूमि या संसाधनों तक सीमित पहुँच, या जलवायु जोखिमों का सामना करना)? - क्या गतिविधियाँ मूलनिवासी समुदायों की भूमि, क्षेत्रों, संसाधनों, आजीविका या संस्कृतियों को प्रभावित कर सकती हैं? - क्या FPIC की आवश्यकता होने की संभावना है? - मुख्य प्रभाव क्या अपेक्षित हैं? - मुख्य अपेक्षित लाभ क्या हैं? अनुशंसित ESDD दायरे में निष्कर्ष शामिल करें]
PS8 - सांस्कृतिक विरासत		
प्रारंभिक पर्यावरणीय और सामाजिक श्रेणी	तर्कसंगतता	
ESDD का अनुशंसित दायरा: अवलोकन - श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत प्रत्यक्ष निवेश आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर के जोखिम वाले निवेश फंड की निवेश रणनीति से बाहर हैं।		

3.5 परिशिष्ट 5: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम प्रश्नावली की संकेतात्मक रूपरेखा

प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक ड्यू डिलिजेंस	
निवेशग्राही का नाम	
देश:	
प्राप्त राशि के उपयोग • प्रत्यक्ष निवेश का स्थान	
पर्यावरण और सामाजिक परिश्रमसावधानी विषय	निष्कर्ष
पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन	
पर्यावरण और सामाजिक नीति	
लागू अंतर्राष्ट्रीय मानक और राष्ट्रीय विनियम	
जोखिमों और प्रभावों की पहचान	
E&S संगठनात्मक क्षमता	
E&S निगरानी	
शिकायत निवारण तंत्र	
हितधारक संलग्नता और प्रकटीकरण	
श्रम और कार्य परिस्थितियाँ	
मानव संसाधन नीतियाँ और प्रक्रियाएँ	
नैतिकता संहिता/आचार संहिता	
कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र	

तृतीय-पक्ष ठेकेदार	
अतिरिक्त पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और प्रभाव – जहाँ लागू हो	
जलवायु रणनीति, संसाधन दक्षता, और प्रदूषण रोकथाम	
सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा	
भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास	
जीव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन	
मूलनिवासी समुदाय	IPPF के अनुरूप, जब स्क्रीनिंग चरण में मूलनिवासी समुदायों की उपस्थिति और/या भूमि/क्षेत्र/संसाधनों से सामूहिक जुड़ाव का पता चलता है, तो ESDD में शामिल होना चाहिए: • जोखिमों, प्रभावों और अवसरों का आकलन • निवेश-प्राप्त ग्राहियों में कमियों की पहचान और संभावित प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने, शमन करने और/या मुआवजा देने के उपाय • स्थानीय भाषा में, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संलग्नता • FPIC की प्रयोज्यता और पर्याप्तता का आकलन • FPIC की प्रयोज्यता और पर्याप्तता का आकलन
सांस्कृतिक विरासत	
GBV और SEAH	
संदर्भात्मक जोखिम	[इनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: • नाजुक और संघर्ष-प्रभावित स्थितियाँ (परिशिष्ट 9 देखें: संकेतात्मक संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन रूपरेखा), यदि लागू हो

	• आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी मुद्दे अनुशंसित ESDD दायरे में निष्कर्ष शामिल करें]
अंतिम E&S श्रेणी	तर्कसंगतता
निष्कर्ष और सिफारिशें: अवलोकन – श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत प्रत्यक्ष निवेश आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर के जोखिम वाले निवेश फंड की निवेश रणनीति के दायरे से बाहर हैं।	

3.6 परिशिष्ट 6: ब्राउनफील्ड निवेशों के लिए E&S अनुपालन ऑडिट की संकेतात्मक रूपरेखा

यह रूपरेखा ब्राउनफील्ड निवेशों के लिए ESDD प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आकलन किए जाने वाले प्रमुख तत्वों को सूचीबद्ध करती है। सभी तत्व हर ऑडिट पर लागू नहीं होंगे; दायरा और विवरण का स्तर प्रत्येक निवेश की विशिष्टताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय अनुपालन

- साइट का इतिहास और प्रदूषण
- नियामक अनुपालन
- जलवायु जोखिम और लचीलापन

सामाजिक अनुपालन

- श्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- समुदाय और हितधारकों पर प्रभाव
- मानवाधिकार और भूमि उपयोग
- सांस्कृतिक और विरासत संबंधी विचार

निष्कर्ष और सिफारिशें

3.7 परिशिष्ट 7: वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट

वित्तीय मध्यस्थों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट		
वित्तीय मध्यस्थ का नाम		
देश:		
- प्राप्त राशि के अपेक्षित उपयोग/उप-ऋण पोर्टफोलियो की संरचना। - अपेक्षित उप-ऋण औसत और उप-ऋण सीमा।		
स्क्रीनिंग प्रश्न:	हाँ/नहीं	टिप्पणियाँ/स्पष्टीकरण
क्या इस निवेश में एक या अधिक ऐसी गतिविधियाँ शामिल होंगी जो बहिष्करण सूची में हैं?		
वर्तमान चरण में, क्या FI की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन नीतियाँ, प्रक्रियाओं या क्षमता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है?		

क्या इस चरण में कोई प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम पहचाने गए हैं?		
क्या संचालन देश या अपेक्षित उप-ऋण पोर्टफोलियो GBV या SEAH का उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है?		
क्या FI ने पहले अन्य विकास वित्त संस्थानों (DFIs) या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs) के साथ सहयोग किया है?		
किन प्रसंगीय जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?		[इनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: • GCF परिभाषा के अनुसार मूलनिवासी समुदायों की उपस्थिति या भूमि/क्षेत्र/संसाधनों से कोई सामूहिक जुड़ाव जो उप-ऋण पोर्टफोलियो से प्रभावित हो सकता है • अपेक्षित उप-ऋण पोर्टफोलियो क्षेत्र में मूलनिवासी समुदायों का ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भ • पहचाने गए मूलनिवासी समुदायों पर उप-ऋणों के प्रभाव की संभावना और संभावित प्रभाव • नाजुक और संघर्ष-प्रभावित स्थितियाँ अनुशंसित ESDD दायरे में निष्कर्ष शामिल करें]
प्रारंभिक पर्यावरण और सामाजिक श्रेणी	तर्कसंगतता	
ईएसडीडी का अनुशंसित दायरा: अवलोकन - श्रेणी FI-1 के रूप में वर्गीकृत निवेश आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर के जोखिम वाले निवेश फंड की निवेश रणनीति से बाहर हैं।		

3.8 परिशिष्ट 8: संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम प्रश्नावली

वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक ड्यू डिलिजेंस	
वित्तीय मध्यस्थ का नाम:	
देश:	
- प्राप्त राशि के उपयोग/उप-ऋण पोर्टफोलियो की संरचना। - उप-ऋण औसत और उप-ऋण सीमा।	
पर्यावरण एवं सामाजिक परिश्रम परीक्षण विषय	निष्कर्ष
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन	
E&S नीति	
बहिष्करण सूची	
लागू अंतर्राष्ट्रीय मानक और राष्ट्रीय विनियम	
E&S वर्गीकरण	
E&S DD प्रक्रियाएँ	
E&S संगठनात्मक क्षमता	
E&S निगरानी	
शिकायत निवारण तंत्र	
हितधारक संलग्नता और रिपोर्टिंग	
श्रम और कार्य परिस्थितियाँ	

मानव संसाधन नीतियाँ और प्रक्रियाएँ	
नैतिकता संहिता/आचार संहिता	
कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र	
तृतीय-पक्ष ठेकेदार	
लिंग-आधारित प्रश्न	
विविधता और लैंगिक समानता पर नीति/प्रतिबद्धताएँ	
GBV और SEAH पर नीति/प्रतिबद्धताएँ	
GBV और SEAH पर प्रशिक्षण	
लिंग-उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र	
उत्तरदायी वित्त	
ग्राहक संपर्क	
अति-ऋणग्रस्तता	
पारदर्शिता और ऋण देने की प्रथाएँ	
वसूली की प्रथाएँ	
ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र	
डेटा गोपनीयता	
देश-विशेष संदर्भ जोखिम – वित्तीय संस्थानों की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, क्षमता	
मूलनिवासी समुदायों	[यदि स्क्रीनिंग के दौरान यह पहचाना जाता है कि उप-ऋण पोर्टफोलियो में ऐसे परियोजनाएँ शामिल होने की संभावना है जो मूलनिवासी समुदायों को प्रभावित करती हैं, तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा]

नाजुक और संघर्ष-प्रभावित परिस्थितियाँ	[यदि देश/क्षेत्र नाजुक और संघर्ष-प्रभावित स्थिति में है तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा, देखें परिशिष्ट 9: संघर्ष संवेदनशीलता के संकेतात्मक मूल्यांकन की रूपरेखा]
अन्य E&S संदर्भगत जोखिम (जैसे मानवाधिकार, आपूर्ति श्रृंखला, और वनों की कटाई के जोखिम)	
अंतिम E&S श्रेणी	तर्कसंगतता
निष्कर्ष और सिफारिशें: अवलोकन - श्रेणी FI-1 के रूप में वर्गीकृत निवेश आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर के जोखिम वाले निवेश फंड की निवेश रणनीति के दायरे से बाहर हैं।	

3.9 परिशिष्ट 9: संकेतात्मक संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन रूपरेखा

संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन किसी निवेशित संस्था के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की पहचान करता है और यह भी कि वह संघर्ष की गतिशीलता के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके कार्य तनाव को और न बढ़ाएं और, जहां संभव हो, शांति-निर्माण के प्रयासों का समर्थन करें। मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल होने चाहिए:

- संघर्ष चालकों, उत्प्रेरकों और कर्ताओं का विश्लेषण
- व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण का मूल्यांकन
- इस बात का मूल्यांकन कि निवेशग्राही संघर्ष की गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर सकता है या उससे कैसे प्रभावित हो सकता है
- संघर्ष-संबंधी जोखिमों की पहचान और शमन उपायों की परिभाषा
- समावेशन, समानता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के तरीकों का मूल्यांकन
- संघर्ष-संबंधित प्रभावों की निगरानी और निवेशग्राही के गतिविधियों के अनुकूलन के लिए प्रणाली

3.10 परिशिष्ट 10: प्रत्यक्ष निवेश के लिए ESAP टेम्पलेट

कार्रवाई योग्य बिंदु	अंतर/मुद्दा		किए जाने वाले कार्य	पूर्णता संकेतक / सत्यापन का साधन	पूर्णता तिथि	स्थिति
IFC PS1						
#						
IFC PS2						
#						
IFC PS3						
#						
IFC PS4						
#						
IFC PS5						
#						
IFC PS6						
#						
IFC PS7						
#						
IFC PS8						
#						
लिंग और SEAH						
#						

3.11 परिशिष्ट 11: वित्तीय मध्यस्थ के लिए ESAP टेम्पलेट

नहीं।	कार्रवाई	साक्ष्य	समयरेखा	पूर्णता की स्थिति
1.				
2.				

3.12 परिशिष्ट 12. प्रत्यक्ष निवेशों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा

यह रूपरेखा B के रूप में वर्गीकृत प्रत्यक्ष निवेश के लिए ESMS के न्यूनतम तत्व प्रदान करती है। निवेशग्रहियों को निम्नलिखित तत्वों को शामिल करना चाहिए:

- पर्यावरणीय और सामाजिक नीति
- जोखिमों और प्रभावों की पहचान
- प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली और योजनाएँ (इनमें ESIA, ESMP, BMP, RAP, IPP, LMP, सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन योजना, OHS प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला और ठेकेदार प्रबंधन प्रणाली शामिल हो सकती हैं)
- आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना
- हितधारक की पहचान और संलग्नता योजना
- आंतरिक और बाहरी शिकायत निवारण तंत्र
- संगठनात्मक क्षमता और दक्षता
- ESMS निगरानी और सतत सुधार के लिए प्रणाली

3.13 परिशिष्ट 13: वित्तीय मध्यस्थों के लिए संकेतात्मक ESMS रूपरेखा

यह रूपरेखा उन न्यूनतम तत्वों को प्रदान करती है जिन्हें एक वित्तीय मध्यस्थ के ESMS में शामिल किया जाना चाहिए:

FI-3

- निवेशग्राहीयों के बहिष्करण सूची तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने की प्रक्रियाएँ
- बाहरी शिकायत निवारण तंत्र
- संगठनात्मक क्षमता और दक्षता
- मानव संसाधन नीति
- आचार संहिता
- कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र
- तृतीय पक्षों द्वारा लागू श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणाली

FI-2

FI-2 के लिए, उपरोक्त सूचीबद्ध तत्वों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।

- पर्यावरणीय और सामाजिक नीति
- टीपीआई की आवश्यकताओं के अनुरूप निवेशग्राहीयों के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की जांच, वर्गीकरण, मूल्यांकन, शमन और निगरानी के लिए E&S प्रक्रियाएं और उपकरण
- ऋण समझौतों में पर्यावरणीय और सामाजिक शर्तें और नियम

3.14 परिशिष्ट 14: संकेतात्मक ESIA रूपरेखा

यह रूपरेखा उन ESIA के लिए अपेक्षित न्यूनतम संरचना और सामग्री प्रदान करती है, जिन्हें प्रत्यक्ष निवेशों के लिए फंड में विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम विश्लेषण की आवश्यकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। विवरण परियोजना के जोखिमों के अनुपात में होना चाहिए।

- कार्यकारी सारांश।
- परियोजना विवरण।
- नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचा।
- पर्यावरण और सामाजिक आधाररेखा।
- जोखिमों और प्रभावों की पहचान और आकलन।
 - IFC PS के अनुरूप।
 - इसमें GBV और SEAH जोखिम शामिल हैं।
- निवारण और संवर्धन उपाय।
- ESMP.
- हितधारक संलग्नता और परामर्श।
- निगरानी और रिपोर्टिंग।

3.15 परिशिष्ट 15: संकेतात्मक ESMP रूपरेखा

ESMP में यह रूपरेखा दी गई है कि पहचाने गए पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन निवेश के पूरे जीवनचक्र के दौरान कैसे किया जाएगा। यह ESIA प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उच्च या विशिष्ट जोखिम वाले सभी श्रेणी बी निवेशों के लिए आवश्यक है, जिसमें विवरण का स्तर निवेश की जोखिम प्रोफाइल के अनुपात में होता है।

- परिचय और उद्देश्य।
- ESIA में पहचाने गए प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का सारांश।
- निवारण उपाय।
- निगरानी और मूल्यांकन योजना।
- संस्थागत व्यवस्था और क्षमता।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- हितधारक संलग्नता और शिकायत प्रबंधन।
- आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया (यदि लागू हो)।
- रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण।
- बजट और संसाधन आवंटन।

3.16 परिशिष्ट 16: हितधारक जुड़ाव योजना रूपरेखा – प्रत्यक्ष निवेशों के लिए मार्गदर्शन

यह हितधारक संलग्नता योजना (SEP) रूपरेखा प्रत्यक्ष निवेशों के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करती है, ताकि वे निवेश के जीवनचक्र के दौरान हितधारकों को शामिल करने के लिए एक संरचित और समावेशी दृष्टिकोण तैयार और कार्यान्वित कर सकें। SEP को निवेश की प्रकृति और पैमाने तथा इसके संभावित E&S जोखिमों और प्रभावों के अनुपात में होना चाहिए।

1. परिचय और उद्देश्य

- एसईपी का उद्देश्य और यह परियोजना के उद्देश्यों तथा पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन में कैसे सहायता करता है।
- IFC PS, राष्ट्रीय विधान, और फंड E&S आवश्यकताओं के साथ संरेखण।

2. परियोजना अवलोकन

- परियोजना, स्थान और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।
- मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का सारांश जो हितधारक संलग्नता को प्रेरित करते हैं।
- परियोजना समयरेखा और प्रमुख चरण।

3. नियामक और नीतिगत संदर्भ

- लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक।

4. हितधारकों की पहचान और विश्लेषण

- मुख्य हितधारक समूहों की पहचान, जिनमें शामिल हैं:
 - प्रभावित समुदाय।
 - संवेदनशील या हाशिए पर पड़े समूह।
 - मजदूर और ठेकेदार।
 - स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी संस्थाएँ।
 - नागरिक समाज संगठन।
 - अन्य प्रासंगिक हितधारक।

5. संलग्नता रणनीति और तरीके

- संलग्नता उद्देश्यों का अवलोकन
- परियोजना चरण के अनुसार नियोजित सहभागिता गतिविधियाँ (जैसे, योजना, निर्माण, संचालन)।
- संलग्नता के तरीकों के प्रकार: सार्वजनिक बैठकें, फोकस समूह, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
- समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सहभागिता के लिए विचार, विशेष रूप से महिलाओं सहित कमजोर समूहों के लिए।

6. सूचना प्रकटीकरण

- प्रकटीकरण की जाने वाली जानकारी के प्रकार।
- प्रकटीकरण का प्रारूप और आवृत्ति।
- भाषा और सुलभता संबंधी विचार।

7. शिकायत निवारण तंत्र (GRM)

- परियोजना-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का विवरण।
- प्रतिक्रिया और समाधान के लिए समय-सीमा और प्रक्रियाएँ।

8. निगरानी, मूल्यांकन, और रिपोर्टिंग

- हितधारक सहभागिता को कैसे ट्रैक और मूल्यांकन किया जाएगा।
- आंतरिक और बाहरी रिपोर्टिंग दायित्व।

9. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- एसईपी कार्यान्वयन के लिए भूमिकाओं का आवंटन (उदाहरण के लिए, सामुदायिक संपर्क अधिकारी)।
- तीसरे पक्ष के सुगमकर्ता या सलाहकार, यदि लागू हो।

10. बजट और संसाधन

- एसईपी कार्यान्वयन के लिए अनुमानित बजट।
- संलग्नता गतिविधियों, अनुवाद, रसद और क्षमता निर्माण के लिए संसाधन आवंटन।

3.17 परिशिष्ट 17: संकेतात्मक श्रम प्रबंधन प्रक्रिया रूपरेखा

श्रम प्रबंधन प्रक्रिया रेखांकित करती है कि कोई परियोजना या संगठन अपने कार्यबल का प्रबंधन कैसे करता है ताकि श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, और श्रम कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जिसमें IFC PS2 शामिल है, का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:

- कार्यबल का अवलोकन (कर्मचारियों के प्रकार, अनुमानित संख्या, और भूमिकाएँ)
- लागू श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानक
- अनुबंध और कार्य घंटे
- वेतन और लाभ
- भेदभाव-रहितता और समान अवसर
- श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र
- सुरक्षित कार्य परिस्थितियों से संबंधित प्रावधान
- ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों का प्रबंधन
- श्रम प्रथाओं की निगरानी
- प्रदर्शन संकेतक
- आपूर्ति श्रृंखला में बाल और जबरन श्रम जोखिमों की पहचान और शमन

3.18 परिशिष्ट 18: संकेतात्मक पुनर्वास नीति रूपरेखा और पुनर्वास कार्य योजना की रूपरेखा

एक पुनर्वास नीति रूपरेखा उन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिनके माध्यम से पुनर्वास के प्रभावों का प्रबंधन तब किया जाता है जब उनके सटीक स्वरूप या स्थान का पता अभी तक नहीं चल पाता है। एक बार परियोजना का विवरण अंतिम रूप से तय हो जाने और विशिष्ट प्रभावों की पहचान हो जाने के बाद, पुनर्वास गतिविधियों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए एक पुनर्वास कार्य योजना विकसित की जाती है।

पुनर्वास नीति रूपरेखा

- पुनर्वास के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत
- कानूनी और संस्थागत ढांचा
- पात्रता मानदंड और हकदारी मैट्रिक्स
- संपत्ति मूल्यांकन और मुआवजे के तरीके
- हितधारक संलग्नता और शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ
- अमल की व्यवस्थाएँ और जिम्मेदारियाँ
- निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

पुनर्वास कार्ययोजना

- परियोजना का विवरण और संदर्भ
- परियोजना के प्रभावों और प्रभावित आबादी का विवरण
- प्रभावित परिसंपत्तियों की जनगणना और सूची
- सामाजिक-आर्थिक आधाररेखा और भेद्यता मूल्यांकन
- कानूनी और मुआवज़ा ढांचा
- अधिकार मैट्रिक्स और पात्रता मानदंड
- जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना और सुधार उपाय
- पुनर्वास स्थल चयन और स्थानांतरण व्यवस्थाएँ
- हितधारक परामर्श और भागीदारी योजना
- शिकायत निवारण तंत्र
- बजट और कार्यान्वयन अनुसूची
- संस्थागत व्यवस्था और जिम्मेदारियाँ

- निगरानी और मूल्यांकन योजना

3.19 परिशिष्ट 19: संकेतात्मक जैव विविधता प्रबंधन योजना की रूपरेखा

जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP) बताती है कि निवेश के जीवनचक्र के दौरान जैव विविधता-संबंधित जोखिमों और प्रभावों की पहचान, शमन और निगरानी कैसे की जाएगी। यह ESMS का एक प्रमुख घटक है और उन प्रत्यक्ष निवेशों के लिए आवश्यक है जिनके प्राकृतिक या संवेदनशील आवासों पर संभावित प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें विवरण का स्तर ESIA के दौरान पहचाने गए जैव विविधता मूल्यों और जोखिमों के महत्व के अनुरूप होता है।

- परिचय और उद्देश्य
- नीतिगत, कानूनी और संस्थागत ढांचा
- आधारभूत जैव विविधता की स्थिति
- जैव विविधता जोखिमों और प्रभावों का आकलन
- निवारण और प्रबंधन उपाय
- जैव विविधता निगरानी और रिपोर्टिंग
- भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
- हितधारक सहभागिता
- कार्यान्वयन अनुसूची और बजट
- समीक्षा और अनुकूली प्रबंधन

3.20 परिशिष्ट 20: संकेतात्मक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (EPRP) रूपरेखा

यह रूपरेखा एक EPRP में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित प्रमुख तत्वों को प्रदान करती है। एक EPRP प्रक्रियाओं और संसाधनों का एक सेट है जिसे समय पर और समन्वित कार्यवाई सुनिश्चित करके लोगों, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उत्पन्न होने वाली E&S आपात स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने, उन पर प्रतिक्रिया देने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गहराई और विवरण निवेशी के जोखिमों के अनुपात में होना चाहिए।

- संभावित आपात स्थितियों की पहचान
- विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों के लिए चरण-दर-चरण कार्य योजनाएँ
- भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ
- आपातकालीन आपूर्ति और सुरक्षात्मक उपकरण
- आपातकालीन योजनाओं का संचार
- स्थानीय प्राधिकरणों, आपातकालीन सेवाओं और प्रभावित समुदायों के साथ समन्वय
- अभ्यास और ड्रिल
- प्रशिक्षण और जागरूकता

3.21 परिशिष्ट 21: सांकेतिक संयोगवश खोज प्रक्रिया की रूपरेखा

संयोगवश खोज प्रक्रिया उन चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिनका पालन निवेशग्राहकों को तब करना होता है, जब परियोजना गतिविधियों के दौरान पहले से अज्ञात सांस्कृतिक धरोहर, पुरातात्विक, जीवाश्म संबंधी या ऐतिहासिक कलाकृतियाँ खोजी जाती हैं। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी संयोगवश खोजी गई कलाकृतियों का प्रबंधन राष्ट्रीय धरोहर कानूनों, IFC PS 8 सहित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए। यह प्रक्रिया उन सभी प्रत्यक्ष निवेश गतिविधियों पर लागू होती है जिनमें भूमि में खलबली या निर्माण कार्य शामिल हैं।

- उद्देश्य और दायरा
- कानूनी और नीतिगत ढांचा
- संयोगवश खोज की परिभाषा
- संयोगवश प्राप्त वस्तुओं के लिए प्रक्रियात्मक कदम
 - खोज क्षेत्र में कार्य का तत्काल निलंबन
 - साइट की सुरक्षा और संरक्षण
 - संबंधित प्राधिकरणों और परियोजना प्रबंधन को सूचना

- योग्य विशेषज्ञों द्वारा आकलन और दस्तावेजीकरण
- प्रबंधन उपायों पर निर्णय (स्थल पर संरक्षण, हटाना, दस्तावेजीकरण, या अन्य कार्रवाई)
- क्लियरेंस के बाद कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति
- भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
- संचार और रिपोर्टिंग
- प्रशिक्षण और जागरूकता
- निगरानी और समीक्षा

3.22 परिशिष्ट 22: प्रत्यक्ष निवेशों के लिए वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा

प्रत्यक्ष निवेशों के लिए वार्षिक E&S प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा	
निवेशग्राही का नाम:	
देश:	
रिपोर्ट जमा करने की तिथि:	
परियोजना की स्थिति और नए संचालन का सारांश:	
पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ESAP) के कार्यान्वयन पर अद्यतन:	
सामान्य अद्यतन	
क्या निवेशग्राही ने अपने संचालन का विस्तार किया या उन्हें बंद किया?	

क्या निवेशग्राही ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पर्यावरणीय लाइसेंस, परमिट या प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया या नए प्राप्त किए?	
क्या आपने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नए पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिमों या प्रभावों की पहचान की है, जो पिछले पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए और ESAP में शामिल जोखिमों के अतिरिक्त हैं?	
क्या कोई पर्यावरणीय या सामाजिक घटना हुई है?	
क्या संस्था पर अधिकारियों द्वारा संचालन के किसी अस्थायी निलंबन, कटौती या समापन, प्रतिबंध, जुर्माने और/या सुधारात्मक कार्य योजनाएं लगाई गई हैं?	
क्या आपके ठेकेदारों और/या उप-ठेकेदारों द्वारा किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा के किसी भी महत्वपूर्ण उल्लंघन की पहचान हुई है?	
पर्यावरण एवं सामाजिक नीति और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)	
क्या E&S नीति और/या ESMS में कोई बदलाव हुए हैं?	
क्या E&S प्रबंधन में भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ बदली गई हैं?	
क्या E&S मुद्दों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है?	
क्या आपको प्रभावित समुदायों, प्रभावित मूलनिवासी समुदायों, आम जनता के सदस्यों, या नागरिक समाज संगठनों से कोई शिकायतें या दावे प्राप्त हुए हैं?	
कृपया हितधारक जुड़ाव योजना के कार्यान्वयन (या किसी भी परिवर्तन) पर जानकारी प्रदान करें और हितधारकों के साथ बातचीत का सारांश दें:	
श्रम और कार्यशील परिस्थितियाँ	
मानव संसाधन/प्रक्रियाओं में अद्यतन	
नैतिकता संहिता में अद्यतन	
सामूहिक छंटनी की जानकारी (यदि लागू हो)	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त कर्मचारी शिकायतें	
लिंग के आधार पर कर्मचारियों का विवरण	
OHS घटना और मृत्यु का विवरण	

कर्मचारियों, ठेकेदारों और उपठेकेदारों को प्रदान की गई OHS प्रशिक्षण:	
संसाधन उपयोग और दक्षता, तथा प्रदूषण निगरानी	
विवरण:	
बिजली का उपयोग:	
जल उपयोग:	
अपशिष्ट जल का निर्वहन:	
वायु उत्सर्जन:	
अपशिष्ट	
भूमि अधिग्रहण	
क्या रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परियोजना संचालन से संबंधित कोई भूमि अधिग्रहण गतिविधियाँ आयोजित की गईं?	
क्या भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप हुआ है: (a) आवास और अन्य गैर-भूमि संपत्तियों का नुकसान, या (b) आय/जीविकोपार्जन का नुकसान (गैर-स्वामित्व लोगों पर प्रभाव सहित)?	
क्या परियोजना निर्माण के कारण सामान्य संपत्ति संसाधनों (जैसे सामुदायिक सुविधाएं, सार्वजनिक चरागाह, वन, आदि) तक पहुंच प्रतिबंधित हुई है?	

3.23 परिशिष्ट 23: वित्तीय मध्यस्थों के लिए वार्षिक पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा

वित्तीय मध्यस्थों के लिए वार्षिक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन रिपोर्ट की संकेतात्मक रूपरेखा
--

वित्तीय मध्यस्थ का नाम:	
देश	
रिपोर्ट जमा करने की तिथि	
पर्यावरणीय और सामाजिक विषय	प्रतिक्रियाएँ
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन	
क्या FI के पास निम्नलिखित दस्तावेज़/प्रक्रियाएँ (ESMS) हैं:	
पर्यावरणीय और सामाजिक नीति	
बहिष्करण सूची के विरुद्ध स्क्रीनिंग	
पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम वर्गीकरण	
वित्तपोषण समझौतों में E&S प्रतिबद्धताएँ	
E&S प्रदर्शन निगरानी	
नियुक्त E&S भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ESMS में परिवर्तन	
अगली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ESMS को विकसित या अद्यतन करने की योजनाएँ	
पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) संगठनात्मक क्षमता	
E&S मुद्दों की निगरानी	
E&S प्रशिक्षण	
हितधारक संलग्नता और E&S रिपोर्टिंग	
शिकायत निवारण तंत्र	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	
आंतरिक या बाहरी हितधारक E&S रिपोर्टिंग	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान E&S घटनाएँ	
टीपीआई के उप-ऋण पोर्टफोलियो का पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम श्रेणी का विभाजन:	
श्रेणी B (मध्यम E&S जोखिम):	
श्रेणी C (कम E&S जोखिम):	
मानव संसाधन प्रबंधन	
मानव संसाधन/प्रक्रियाओं में अद्यतन	

नैतिकता संहिता में अद्यतन	
सामूहिक छंटनी संबंधी जानकारी (यदि लागू हो)	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त कर्मचारी शिकायतें	
लिंग के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण	
क्या FI के पास लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न (GBVH) को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय मौजूद हैं:	
यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर हिंसा के सभी रूपों के प्रति शून्य सहनशीलता पर एक स्वतंत्र नीति या स्पष्ट प्रतिबद्धता	
GBVH दावों का पता लगाने, रोकने और संबोधित करने पर प्रशिक्षण	
GBVH दावों के लिए लिंग-उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र	
उत्तरदायी वित्त	
क्या वित्तीय संस्थान के पास ग्राहकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित नीतियां और/या प्रक्रियाएं हैं:	
ग्राहक क्रेडिट इतिहास और/या मौजूदा ऋण की जाँच	
ब्याज दरें और/या शुल्क	
ग्राहक डेटा संरक्षण	
विविधता और समावेशन	
ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र	
ग्राहक सुरक्षा मानकों के साथ संरेखण	
जलवायु और स्थिरता	
क्या वित्तीय संस्थान के पास निम्नलिखित विषयों को संबोधित करने के लिए कोई रणनीति, योजना या नीति है:	
सततता	
जलवायु लक्ष्य	
क्या वित्तीय संस्थान या उसका मूल समूह वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है?	
यदि उपलब्ध हो, तो कृपया नीचे मान दर्ज करें:	
दायरा 1 उत्सर्जन (CO2 समतुल्य टन /वर्ष)	

दायरा 2 उत्सर्जन (CO2 समतुल्य टन /वर्ष)	
दायरा 3 उत्सर्जन (CO2 समतुल्य टन/वर्ष)	
जलवायु जोखिम शासन, प्रबंधन और प्रकटीकरण:	